الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

अवाम में मशहूर
ग़लत मसाइल का शरई हल

इस्लाहुल अवाम

-:- मुसन्निफ़ -:-

ताजुल फ़ुक़हा बह्रुल उ़लूम ह़ज़रत अ़ल्लामा

मुफ़्ती मुह़म्मद रिज़्वानुर्रह़मान फ़ारूक़ी अ़लैहिर्रह़मह

अर रज़ा ग्रुप इंदौर

तमाम भाईयो को सलाम किताबे

स्केन करके पीडिएफ में आप

तक पहुँचाने के लिए इस

फक़ीर को अपनी दुआओ में

खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालीब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

मुबारक रप्पा सनावद

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

अवाम में मशहूर

ग़लत मसाइल का शरई हल

इस्लाहुल अवाम

-:- मुसन्निफ़ -:-

ताजुल फ़ुक़हा बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा

मुफ़्ती मुहम्मद रिज़्वानुर्रहमान फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमह

मुफ़्तिये मालवा, इन्दौर

यादों का उजाला

अज- हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद मन्सूर अली ख़ाँ क़ादरी
जनरल सेक्रेट्री ऑल इन्डिया सुन्नी जमीअतुल उलमा, मुंबई

लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह

याद उर्दू ज़बान का लफ़्ज़ जिसकी रंगीनी से काएनात सरसब्ज़ो शादाब है। याद जिस का जल्वा शहर शहर, नगर नगर, क़रीयह क़रीयह है। याद क्या कहना कुर्बानी में याद, हज में याद, ज़कात में याद और नमाज़ तो मुकम्मल यादों का मज्मूआ। मीलाद शरीफ़ में याद, ग्यारहवीं शरीफ़ में याद, शबे मेराज में याद, शबे बरात में याद, शबे क़द्र में याद, फ़ातिहा में याद, उर्स में याद, ख़ानक़ाहों में याद, दर्सगाहों में याद, कुरआने अज़ीम में किस किस की याद, कैसे कैसे याद और यादों को बरक़रार व क़ाइम रखने के ख़ूब से ख़ूब तर अहकाम क़ुरआने अज़ीम में मौजूद हैं। एक ऐसा लफ़्ज़ याद जो काएनात की वुसअतों में समाया हुआ और हर दिल याद से सजाया हुआ है, यादें, यादें, यादें ही यादें, रोशन यादें, सुनहरी यादें, मुअत्तर मुअत्तर यादें, मुनव्वर मुनव्वर यादें, महकती यादें, नूरानी यादें, नूरून अला नूर, ऐसी यादें जो कभी न भुलाई जाएं, वह यादें जिनका ज़िन्दगी से अन देखा रिश्ता है, अटूट बन्धन है, वह हसीन यादें जो काएनात का निखार और उस से ज़िन्दगी में बहार है।

आज हम इन सफ़हात पर यादों का हसीन गुलशन सजा रहे हैं। और यादों के रोशन चराग़ों से क़ुलूब की

दुनिया में उजाला करेंगे।

आई जो उनकी याद तो आती चली गई।
हर नक़्शे मा सिवा को मिटाती चली गई।।

वह याद है रईसुल मुनाज़िरीन इमामुल मुक़र्रिरीन, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अल्लामा अलहाज मुफ़्ती, हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद रिज़वानुर्रहमान फ़ारूक़ी क़ादरी रज़वी अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान की

जिनकी विलादत 19 जुमादल ऊला सन् हि. 1326 मुताबिक़ 9 जून सन् 1908 ई. को सहसवान ज़िला बदायूँ में हुई, और 1 जुमादल ऊला सन् 1404 हि. मुताबिक़ 4 फ़रवरी सन् 1984 ई. को इन्दौर में विसाल हुआ।

हज़रत का ख़ान्दान एक इल्मी वजाहत वाला ख़ान्दान जिनकी शराफ़त व नजाबत और इल्मी ख़िदमात शौहरए आफ़ाक़ हैं। अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़ए दोम सैयिदुना उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की निस्बत ने सोने पर सुहागा का काम किया, हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब क़िब्ला फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमह की अज़ीमो जलील शख़्सियत के तआरूफ़ के लिये सैयिदुना आला हज़रत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की एक मशहूर नअ्ते मुबारक का यह शेअ्र काफ़ी है-

उन्हें जाना उन्हें माना न रखा ग़ैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।।

❖ हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-

एक इल्मी ख़ान्दान के रोशन आफ़ताब

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

सैयिदी मुर्शिदी हुज़ूर मुफ़्तिए आज़मे हिन्द अलैहिर्रहमह के ख़लीफ़ा और मोअ्तमद मुफ़्तिए दीन

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

अहले सुन्नत व जमाअत के अज़ीम मुनाज़िर

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

सुन्नियों के बा वक़ार मुफ़्ती

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

आलिमे बा अमल और सच्चे आशिक़े रसूल

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

जिनकी दीनी व मज़हबी ख़िदमात निस्फ़ सदी पर फेली हुई हैं और दुनियाए सुन्नियत जिनका बरमला एतिराफ़ कर रही है।

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

जिनके इल्म का नय्यरे ताबाँ क़ुलूब के आफ़ाक़ को आज भी रोशन कर रहा है।

❖ **हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान-**

जिनके बारे में हज़रत ख़तीबे मशरिक़ अल्लामा मुशताक़ अहमद निज़ामी साहेब अलैहिर्रहमह ने तहरीर फ़रमाया-

हज़रत अलैहिर्रहमह हमारी जमाअत के बहुत ही मुमताज़ तरीन आलिम थे, मुदर्रिस, मुक़र्रिर, मुफ़्ती मुसन्निफ़, मुनाज़िर सब ही कुछ थे, ऐसे अफ़राद बहुत कम पैदा होते हैं, *(तज़किरए रिज़वान)*

हज़रत अल्लामा अलहाज अरशदुल क़ादरी साहेब क़िब्ला अलैहिर्रहमह ने फ़रमाया-

हज़रत मुफ़्तिए आज़म मालवा हमारे दर्मियान ख़ुदा की एक

अज़ीम नेमत थे, फ़ज़ाइलो कमालात की जो जामेइयत उनकी शख़्सियत को हासिल थी वह पूरी मिल्लत के लिये क़ाबिले इफ़्तिख़ार थी। *(तज़किरए रिज़वान)*

हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ़्ती अब्दुल मन्नान साहेब आज़मी मद ज़िल्लोहुम तहरीर फ़रमाते हैं-

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब अली ने अहले सुन्नत की उस अज़ीम फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे, जो अब नापैद हो चुकी है। और जिसका हर फ़र्द एक मुम्ताज़ मक़ाम रखता है। *(तज़किरए रिज़वान)*

और शारिहे बुख़ारी हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मोहम्मद शरीफ़ुल हक़ साहेब अमजदी अलैहिर्रहमह ने तहरीर फ़रमाया-

हज़रत मुफ़्ती साहब जामेअ् कमालात इंसान थे, तहरीर, तक़रीर, तदरीस सभी मैदान के शहसवार थे, उनके फ़ैज़ से एक आलम सैराब हुआ। *(तज़किरए रिज़वान)*

हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब क़िब्ला फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमह की ज़ातो शख़्सियत के बारे में अहले सुन्नत के अकाबिर उलमाए किराम के यह वह तास्सुरात हैं जो आबे ज़र से तहरीर करने के लाइक़ हैं, सच्ची बात तो यह है कि हज़रत उस राहे हक़ के मुसाफ़िर थे, और इश्क़े रिसालत की उस शाहराहे आज़म पर गामज़न थे कि-

कुछ ऐसे मुसाफ़िर हैं ख़ूद जिन के लिये सदियों।
राहें भी तरसती हैं मन्ज़िल भी तरसती है।।

हज़रत मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब अलैहिर्रहमह के विसाले अक़दस के बाद उनकी इल्मी यादगार दारुल उलूम नूरी इन्दौर

क़ाइम व बरक़रार है। हज़रत के पाक व हिन्द में शागिर्दों की एक अज़ीम जमाअत है। उनका इल्मी ख़ानवादा सलामत व बरक़रार है। वहीं उनकी इल्मी यादों को क़ाइम रखते हुए उनकी तसानीफ़ का अज़ीम ज़ख़ीरा मौजूद है। जिनसे दुनियाए इल्मो फ़न फ़ैज़ियाब हो रही है।

रब्बे क़दीर का शुक्र व एहसांन है कि अज़ीज़े गिरामी मोंहम्मद शाहिद रज़ा सिद्दीक़ी नवासए हुज़ूर मुफ़्तिए मालवा अलैहिर्रहमह ने इस जानिब तवज्जोह की और हज़रत की वह तसानीफ़ जो उर्दू ज़बान में शाए होकर क़ुबूलियत की मन्ज़िलें सर कर चुकी हैं, नई ज़ैबो ज़ीनत और ख़ूबसूरत सरे वर्क़ के साथ उन तसानीफ़ को हिन्दी ज़बान में शाए करने का अज़्म किए हुए हैं। इस सिल्सिले में हज़रत की मश्हूर तसनीफ़ मुसलमान शौहर व बीवी के लिये शम्ए राह किताब के हिन्दी में कई एडीशन शाए हो चुके हैं, अब हज़रत मुफ़्तिये मालवा अलैहिर्रहमह की यह मश्हूरो मारूफ़ किताब इस्लाहुल अवाम आप के हाथ में है। आम तौर से मुसलमानों में राइज बहुत से ग़लत मसाइल का सही हल इस किताब में बयान किया गया है। हवाले की ज़रूरत पैश आई है तो क़ुरआन व हदीस व फ़िक़्ह के हवाले जात से मसाइल को और वाज़ेह कर दिया गया है। सिर्फ़ दो सवालात के जवाबात मुलाहज़ा फ़रमाएं।

सवाल :- मस्जिद के अन्दर माइक पर अज़ान कहना जाइज़ है या नहीं? फ़ुक़हाए किराम इस बारे में क्या कहते हैं?

जवाब :- माइक पर हो या बग़ैर माइक, हर सूरत में मस्जिद के अन्दर अज़ान कहना मकरूह है। अज़ान मस्जिद के बाहर कहना चाहिये। (आगे हवाला जात हैं)

एक और अहम सवाल व जवाब देखें-

सवाल :- हमारे यहाँ क़ाज़ी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो पहले ईजाबो क़ुबूल कराते हैं उसके बाद ख़ुत्बा पढ़ते हैं क्या यह तरीक़ा सही है ?

जवाब :- मस्नून तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी पहले ख़ुत्बए निकाह पढ़े फिर ईजाबो क़ुबूल कराए, ईजाबो क़ुबूल के बाद ख़ुत्बा पढ़ना जैसा कि बाज़ जाहिल क़ाज़ियों का तरीक़ा है, सुन्नते नबवी के ख़िलाफ़ है। अहादीसे सहीहा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम पहले ख़ुत्बा पढ़ते थे।

इस तरह छोटे छोटे वह सवालात जिनका रोज़ाना की ज़िन्दगी से ताल्लुक़ है उनके मुख़्तसर जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे जो एक इल्मी ख़ज़ाना की हैसियत रखते हैं और आपकी दीनी मालूमात में बेशबहा इज़ाफ़े का सबब बनेंगे। इन सवालात व जवाबात की इस किताब में कुल तादाद 153 है। पढ़िए और अक़ाइदो आमाल की इस्लाह करके दारैन की सरफ़राज़ी हासिल कीजिये।

रब्बे करीम व कारसाज़ अज़ीज़े गिरामी मोहम्मद शाहिद रज़ा सिद्दीक़ी की मदद फ़रमाए और मज़ीद हौसलों के साथ ख़िदमते दीनो सुन्नियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब क़िब्ला फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमह का फ़ैज़ो करम दराज़ से दराज़ तर फ़रमाए, हज़रत का ख़ानवादा सलामत रहे इस के गुल बूटे सलामत रहें, चराग़ से चराग़ जलता रहे, गुलाब से गुलाब खिलता रहे। और बाग़े रिज़वाँ महकता रहे, लहकता

मुफ़्तिये मालवा अलैहिर्रहमह अपनी ख़ुदा दाद सलाहियतों से फ़तहो कामरानी के निशान क़ाइम फ़रमा दिया करते थे।

यही वजह है कि शबीहे ग़ौसे आज़म, सरकार मुफ़्तिये आज़म रज़ियल मौला तआला अन्हुमा से मुल्क के तूलो अरज़ में जब लोग अपने इलाक़े में वहाबियतो नज्दियत और ला दीनियत की शिकायत करते तो बरजस्ता सरकार इरशाद फ़रमाते-

इन्दौर से मुफ़्ती रिज़वानुर्रहमान साहेब को बुलवाइये, उनका बयान बहुत मुफ़ीद है, इंशाअल्लाह आपके इलाक़े के हालात सुधर जाएंगे

बहर हाल ज़ेरे नज़र रिसाला 3इस्लाहुल अवाम4 मुन्दरजा बाला बयान की ताइद के लिये काफ़ी है, अपने नाम और उनवान से इसकी इफ़ादियत ज़ाहिर है। हज़रत के 19 वें सालाना उर्से रिज़वानी के मौक़े पर 3इमाम अहमद रज़ा फ़ाउन्डेशन इन्दौर4 के ज़ेरे एहतिमाम अज़ीज़ी 3मोहम्मद शाहिद रज़ा सिद्दीक़ी4 सल्लमहू की काविशों से रिसाले का हिन्दी एडीशन पेशे ख़िदमत है। मौला तआला क़ुबूल फ़रमाए।

फ़क़त कमतरीन

फ़क़ीर क़ादरी **मोहम्मद हबीब यार ख़ान नूरी**

ग़फ़रलहू

بسم الله الرحمن الرحيم

आम लोगों में सैकड़ों ऐसे ग़लत मसाइल मश्हूर हो गए हैं जिनकी शरीअते मुतहहरा में कोई अस्ल (हक़ीक़त) नहीं। इस किताब में इस क़िस्म के मसाइल को मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत के मुवाफ़िक़ क़ुरआनो हदीस और फ़िक़ह हनफ़ी की रौशनी में हल किया गया है, ताकि अवाम के ख़यालात की इस्लाह हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम o

सवाल 1 : अगर कोई शख़्स पैशाब करने के बाद ढेले से इस्तिन्जा कर ले, पानी से इस्तिन्जा करना भूल जाए और वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब : नमाज़ हो जाएगी, इआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमेशा ढेले पर इस्तिन्जा करना मुनासिब नहीं, इस लिये कि ढेले से इस्तिन्जा करने के बाद पानी से इस्तिन्जा करना अफ़ज़ल है।

सवाल 2 : बाज़ लोग वुज़ू में कोहनियों की तरफ़ से हाथों पर पानी बहाते हैं, क्या यह तरीक़ा सही है ? और वुज़ू हो जाता है?

जवाब : वुज़ू हो जाएगा, लेकिन यह तरीक़ा क़ुरआनो हदीस के हुक्म के ख़िलाफ़ है। क़ुरआने करीम में कोहनियों को हाथों तक धोने का हुक्म नहीं है बल्कि हाथों को कोहनियों तक धोने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम जब हाथों पर पानी बहाते थे तो उंगलियों की तरफ़ से कोहनियों तक पानी बहाते थे, फ़तावा आलमगीरी में है-

"और मस्नून यह है कि हाथों और पैरों पर उंगलियों के पोरों की तरफ़ से इब्तिदा (शुरूआत) की जाए"।

सवाल 3 : आम लोगों में मशहूर है कि किसी का सतर (गुप्तां) देखने से वुज़ू जाता रहता है, क्या यह बात सही है?

जवाब : बिल्कुल ग़लत और बे अस्ल है। न अपना सतर (गुप्तांग) देखने से वुज़ू जाए और न ग़ैर का सतर देखने से वुज़ू में कोई नुक़सान आए, अलबत्ता किसी की शर्मगाह पर नज़र डालना क़तअन मना है।

सवाल 4 : दुखती आँखों से जो पानी बहता है उससे वुज़ू टूट जाता है या नहीं? अगर वुज़ू टूट जाता है तो ऐसा शख़्स नमाज़ कैसे पढ़ेगा?

जवाब : दुखती आँखों से जो पानी बहता है उस से वुज़ू टूट जाता है ऐसे शख़्स को हर नमाज़ के वक़्त नया वुज़ू करना चाहिये। रद्दुल मोहतार शरहे दुर्रे मुख़्तार में है-

जिस की आँखें दुखती हों और आँख से पानी बहे, दुखने के सबब से वुज़ू टूट जाएगा और इस मस्अले से लोग ग़ाफ़िल है।

सवाल 5 : औरतों में मशहूर है जब तक ग़ुस्ल में कलिमा

शरीफ़ न पढ़ा जाए ग़ुस्ल नहीं उतरता, क्या यह बात सही है?

जवाब : बिल्कुल ग़लत ! सही मस्अला यह है कि ग़ुस्ल करने की हालत में ख़ामोश रहना चाहिये, न कलिमा पढ़ना चाहिये और न किसी क़िस्म की गुफ़्तगू करना चाहिये।

सवाल 6 : बाज़ (कुछ) औरतों का अक़ीदा है कि ज़च्चा चिल्ला पूरा होने तक पाक नहीं होती न नमाज़ पढ़ सकती है और न रोज़ा रख सकती है। अब सवाल यह है कि औरतों का यह ख़याल कहाँ तक सही है?

जवाब : औरतों का यह ख़याल कि जब तक पूरा चिल्ला न गुज़र जाए ज़च्चा पाक नहीं होती, बिल्कुल ग़लत और बेअस्ल है। शरई हुक्म यह है कि जब निफ़ास (ख़ून बहना) ख़त्म हो जाए उसी वक़्त से ग़ुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दे। अगर नहाने से बीमारी का यक़ीनी अन्देशा हो तो तयम्मुम करें और नमाज़ पढ़े। बिला वजह नापाक रह कर नमाज़ छोड़ना गुनाहे कबीरा है। मर्दों को लाज़िम है कि औरतों को मसाइल समझाएं कि निफ़ास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन है। इन चालीस दिन के दर्मियान जब भी ख़ून बन्द हो जाए फ़ौरन ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ना चाहिए।

सवाल 7 : जनाबत (नापाकी) की हालत में सलाम का जवाब देना जाइज़ है या नहीं ? बाज़ लोग मना करते हैं और नाजाइज़ बताते हैं?

जवाब : जनाबत की हालत में सलाम का जवाब देना जाइज़ है लेकिन ख़िलाफ़े ऊला है, बहतर है कि तयम्मुम करके जवाब दे।

सवाल 8 : जिस शख़्स को ग़ुस्ल की हाजत हो वह नापाकी की हालत में खाना खा सकता है या नहीं?

जवाब : खाना खाने के लिये ग़ुस्ल ज़रूरी नहीं है हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खा सकता है, बिला कराहत जाइज़ है

दुर्रे मुख़्तार में है-

3हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खाना खाने और पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ बहतर यही है कि वुज़ू करने के बाद खाए। (कमा वुरिदाफ़िल हदीस)

सवाल 9 : बाज़ लोग ग़ुस्ल के बाद नमाज़ के लिये वुज़ू का इआदा करते हैं, अब दर्याफ़्त तलब अम्र (हुक्म) यह है कि ग़ुस्ल से पहले जो वुज़ू किया जाता है क्या उस से नमाज़ नहीं होती?

जवाब : जब ग़ुस्ल से पहले वुज़ू किया है तो ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं उसी वुज़ू से नमाज़ दुरूस्त है। क़ुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

तर्जमा : "अगर पहले वुज़ू कर लिया तो दोबारा वुज़ू न करें"।

सवाल 10 : औरतें हैज़ो निफ़ास की हालत में कलिमए तैयिबा और दुरूद शरीफ़ पढ़ सकती हैं या नहीं ? हमारे यहाँ बाज़ लोग नाजाइज़ बताते हैं।

जवाब : कलिमए तैयिबा भी पढ़ सकती हैं और दुरूद शरीफ़ भी पढ़ सकती हैं लेकिन ऐसी हालत में क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने की इजाज़त नहीं।

सवाल 11 : बाज़ औरतें वुज़ू में सिर का मसह करने के बाद हुल्क़ूम (गले) का मसह करती हैं क्या हुल्क़ूम यानी गले का मसह करना चाहिये?

जवाब : गले का मसह मकरूह है, हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने मना किया है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

तर्जमा : वुज़ू के मुस्तहब्बात में गर्दन का मसह है हाथों की पुश्त से न कि गले का मसह, इस लिये कि यह बिदअते सैयेअह (बुरी बिदअत) है

फिर आलमगीरी में है-

तर्जमा : लेकिन गले का मसह करना बस यह बिदअते सैयेअह है जैसा कि बहरुर्राइक़ में है।

फिर कबीरी में है-

तर्जमा : और गले का मसह बिदअत है।

फ़ुक़हाए अहनाफ़ की तशरीहात से साफ़ ज़ाहिर है कि गले का मसह बिदअत है।

सवाल 12 : बाज़ लोग तयम्मुम में सिर का मसह करते हैं और कहते हैं कि वुज़ू की तरह तयम्मुम में भी सिर का मसह करना चाहिये, उनका यह तरीक़ा कहाँ तक सही है?

जवाब : तयम्मुम में सिर का मसह नहीं। इसमें दो दो ज़र्बें हैं, एक ज़र्ब चेहरे पर मसह करने के लिए और एक ज़र्ब दोनों हाथों पर कोहनियों समेत मसह करने के लिये। सिर पर मसह करना ईजादे बन्दा है, शरई हुक्म नहीं।

सवाल 13 : कुंआँ नापाक हो जाने की सूरत में शरअन जितना पानी निकालना ज़रूरी हो उतना पानी एक दम पे दर पे निकालना लाज़मी है या थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं?

जवाब : जितना पानी निकालने का हुक्म हो उतना पानी निकालना ज़रूरी है। यह इख़्तियार है कि पै दर पै निकालें या थोड़ा थोड़ा निकालें। मसलन 300 डोल निकालना है तो इख़्तियार है कि एक दिन में निकालें या रोज़ाना 100 डोल के हिसाब से तीन दिन में निकालें। शरअन एक दम में निकालना ज़रूरी नहीं। क़ुतुबे फ़िक़्ह में यह मस्अला साफ़ तौर पर मज़कूर है।

तर्जमा : कुंएँ से चालीस डोल निकालना वाजिब हुए, अगर बीस डोल एक दिन निकाला और बीस दूसरे दिन निकालें तो जाइज़ है। पै दर पै निकालना शर्त नहीं।

फिर दुर्रे मुख़्तार में है-

तर्जमा : अगर कुछ पानी निकाला और फिर दूसरे दिन पानी ज़्यादा हो गया तो बाक़ी मान्दा पानी की मिक़्दार निकाली जाए।

फिर शामी में है-

तर्जमा : अगर कुछ पानी निकाला और फिर दूसरे दिन पानी ज़्यादा हो गया तो बाक़ी मान्दा पानी की मिक़्दार निकाली जाए।

फिर शामी में है-

तर्जमा : यह मस्अलह इस पर मब्नी है कि पै दर पै निकालना शर्त नहीं है और यही क़ौल मुख़्तार है।

फिर बहरुर्राइक़ में है-

तर्जमा : मुख़्तार यही है कि पै दर पै निकालना शर्त नहीं है।

फिर जामिउल रुमूज़ में है-

तर्जमा : पै दर पै निकालना शर्त नहीं है मुख़्तार यही है।

इस तरह दीगर फ़ुक़हाए किराम ने भी इस मस्अले की वज़ाहत फ़रमाई है।

सवाल 14 : मस्जिद के अन्दर माइक पर अज़ान कहना जाइज़ है या नहीं? फ़ुक़हाए अहनाफ़ इस बारे में क्या फ़रमाते हैं?

जवाब : माइक पर हो या माइक के बग़ैर हर सूरत में मस्जिद के अन्दर अज़ान देना मकरूह है। अज़ान मस्जिद के बाहर कहना चाहिये, फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने तसरीह फ़रमाई है कि हर अज़ान मस्जिद के बाहर कही जाना चाहिये।

फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में है-

तर्जमा : मुनासिब यही है कि मेअ्ज़नह पर या मस्जिद के बाहर अज़ान दी जाए और मस्जिद में अज़ान न दी जाए।

दीगर कुतुबे फ़िक़्ह में भी इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 15 : अस्र की नमाज़ में जल्दी करना या ताख़ीर बहतर है? मालवा के इलाक़े में यह मशहूर है कि असर की नमाज़ में जल्दी करना बहतर है, बाज़ मस्जिदों में अस्र में इतनी जल्दी करते हैं कि अज़ान वक़्त से पहले कह देते हैं क्या यह सही है?

जवाब : सिर्फ़ अब्र (बारिश) में तअ्जील (जल्दी) बहतर

है इसके सिवा मौसमे गर्मा हो या मौसमे सर्मा हर ज़माने में अस्र की नमाज़ में ताख़ीर (देर करना) अफ़ज़ल है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

तर्जमा : गर्मियों और सर्दियों में मुस्तहब यह है कि अस्र की नमाज़ में इतनी ताख़ीर की जाए कि सूरज मुतग़य्यर (तब्दील) न हो।

जो अज़ान वक़्त से पहले दी जाती है उस का इआदह (लौटाना) ज़रूरी है।

सवाल 16 : बाज़ लोग तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथ क़ानों तक इस तरह उठाते है कि दोनों हथेलियाँ रुख़्सारों की तरफ हो जाती है। क्या यह तरीक़ा सही है?

जवाब : दोनो हाथों को कानों तक इस तरह उठाना चाहिए कि दोनों हथेलियाँ क़िब्ला की तरफ हो जाएं।

फ़तावए आलमगीरी में है-

अपने हाथों की हथेलियों को क़िब्ले की तरफ़ करें और उंगलियों को फैला दे।

फिर कबीरी में है-

हाथ उठाते वक़्त अपनी हथेलियों को क़िब्ले की तरफ़ करें, ताकि पूरी तरह ज़ू इ़लल क़िब्ला (क़िब्ले की तरफ़) हो जाए।

तमाम फ़ुक़हा ने इर मस्अले की तसरीह फ़रमाई है।

सवाल 17 : तमाम लोगों में यह बात बहुत मशहूर है कि नमाज़ की हालत में सीधे पैर का अंगूठा हिलने या सरकने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। क्या यह मस्अला सही है?

जवाब : यह मस्अला अवाम में मशहूर है, लेकिन महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है। क़ुरआनो हदीस या क़ुतुबे फ़िक़ह में इसका कोई ज़िक्र नहीं। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 18 : अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज़ की पहली रकअत में सूरए नास पढ़ी तो दूसरी रकअत में कौन सी सूरह पढ़े?

जवाब : दूसरी रकअत में उसी सूरत का इआदा करे यानी सूरए नास पढ़े, इस लिये कि ख़िलाफ़े तर्तीब पढ़ने की बनिस्बत एक ही सूरह को मुकर्रर (दुबारा) पढ़ लेना बहतर है।

तर्जमा : एक ही सूरह का दूसरी रकअत में इआदा करने में कोई हर्ज नहीं।

सवाल 19 : अगर किसी ने फ़र्ज नमाज़ की आख़री दो रकअत में सूरए फ़ातिहा न पढ़ी बल्कि ख़ामोश खड़ा रहा फिर रूकू कर लिया तो उस सूरत में सज्दए सह्व करना वाजिब होगा या नहीं?

जवाब : सज्दए सह्व की ज़रूरत नहीं। इस लिये कि फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री दो रकअतों में सूरए फ़ातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है।

सवाल 21 : बाज़ लोग कहते हैं दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना बहतर है, क्या यह मस्अला सही है?

जवाब : दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है

दुर्रे मुख़्तार में है-

तर्जमा : वित्रो में दुआए कुनूत पढ़िये और उसमें मशहूर दुआ जो है उसे पढ़ना सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि

वसल्लम पर दुरूद पढ़िये, यही मुफ़्ताबिह है।

सवाल 22 : आम तौर पर लोग नफ़्ली नमाज़ें बैठ कर पढ़ते हैं और समझते हैं कि नफ़्ली नमाज़ें बैठ कर पढ़ना बहतर है, सही मस्अला किस तरह है?

जवाब : नफ़्ली नमाज़ बैठ कर पढ़ना जाइज़ है लेकिन खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है। सही हदीस से साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

तर्जमा : अगर खड़े होकर पढ़े तो बहतर है, और जिसने बैठ कर नमाज़ पढ़ी उसे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले के मुक़ाबले आधा सवाब है।

इस हदीस को बुख़ारी ने अपनी सहीह में रिवायत किया है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले को आधा सवाब मिलता है।

सवाल 23 : बाज़ लोगों का ख़याल है कि वित्रों के बाद दो रकअत नफ़्ल बैठ कर पढ़ना मस्नून तरीक़ा है, इस लिये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम बैठ कर पढ़ते थे?

जवाब : वित्रों के बाद जो नफ़्ल पढ़े जाते हैं उनको खड़े होकर पढ़ना बहतर है, रही यह बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम बैठ कर पढ़ते थे इसकी वजह यह थी कि हुज़ूर की ख़ुसूसियत थी कि आप खड़े होकर पढ़ते या बैठ कर पढ़ते, हर सूरत में आप पूरे सवाब के मुस्तहिक़ थे।

मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि मुझे किसी ने यह हदीस सुनाई कि बैठ

कर नफ़्ल पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, जब मैं हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि हुज़ूर ने वित्रों के बाद बैठ कर दो नफ़्ल अदा किए, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने हुज़ूर की हदीस सुनी है कि बैठ कर आधा सवाब मिलता है और आप ख़ुद बैठ कर पढ़ रहे हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया मैं तुम्हारे मानिन्द नहीं हूँ।

इस हदीस की शरह में अल्लामा अली क़ारी मुहद्दिस मिरक़ात शरह मिश्कात में फ़रमाते हैं।

तर्जमा : यानी यह बात मेरी ख़ुसूसियात में है कि मेरी नमाज़ का सवाब कम नहीं होता जिस तरीक़े पर भी जलवागर होऊँ।

फिर बहरूर्राइक़ शरह कन्जुद दक़ाइक़ में है-

तर्जमा : हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से यह बात है कि क़याम पर क़ुदरत के बावुजूद आपका बैठ कर नवाफ़िल पढ़ना खड़े होकर पढ़ने के बराबर है, बवजह आपकी बुज़ुर्गी के- फिर *अल्लामा शामी रद्दुल मोहतार शरह दुर्रे मुख़्तार में फ़रमाते हैं-*

लेकिन नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात में यह है कि क़ियाम पर क़ुदरत होते हुए आपका बैठ कर नफ़्ल पढ़ना खड़े होकर पढ़ने की तरह है।

इन तसरीहात से ज़ाहिर है कि हुज़ूर की ख़ुसूसियात में यह बात थी कि आप जिस तरह नवाफ़िल पढ़ते पूरा सवाब पाते थे लेकिन उम्मत अपने नबी की ख़ुसूसियात में बराबरी नहीं कर सकती इस लिये उम्मत के लोगों को सवाब की ज़्यादती इसी में है। हर नफ़्ल खड़े होकर पढ़ें।

सवाल 24 : बाज़ मक़ामात पर रमज़ान की आख़री तारीख़ों में क़ज़ाए उमरी की चन्द रकअतें इस ख़याल से पढ़ते हैं कि इस नमाज़ से तमाम उम्र की क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो जाती हैं। क्या यह ख़याल सही है?

जवाब : यह ख़याल कि क़ज़ाए उमरी की चन्द रकअतों से तमाम उम्र की क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो जाती हैं या मुआफ़ हो जाती हैं महज़ ग़लत है। कुरआन, हदीस, और कुतुबे फ़िक़ह में ऐसी क़ज़ाए उमरी का कोई ज़िक्र नहीं।

सवाल 25 : एक शख़्स मस्जिद में ऐसे वक़्त आया कि फ़ज्र की जमाअत फ़ौत होने का अन्देशा था, वह फ़ौरन जमाअत में शरीक हो गया, ऐसी सूरत में वह शख़्स फ़र्ज़ अदा करने के बाद फ़ौरन सुन्नतें पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब : सूरज निकलने के बाद पढ़े, हनफ़िया के नज़दीक फ़ज्र के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सूरज तुलूअ् होने तक सुन्नतें व नवाफ़िल पढ़ना मना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है-

फ़ज्र की नमाज़ के बाद सूरज बलन्द होने तक कोई (नफ़्ल सुन्नत) नमाज़ नहीं।

इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर है कि सुबह के फ़र्ज़ों के बाद सूरज बलन्द होने तक सुन्नत और नफ़्ल पढ़ना मना है।

सवाल 26 : फ़ज्र की नमाज़ के बाद और अस्र की नमाज़ के बाद पिछले फ़र्ज़ों की क़ज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं? आम लोगों में मश्हूर है कि फ़ज्र व अस्र की नमाज़ के बाद सज्दा करना मना है।

जवाब : फ़ज्र और अस्र की नमाज़ के बाद नवाफ़िल पढ़ना मना है, पिछले फ़र्ज़ों की और वित्रों की क़ज़ा पढ़ सकते हैं इसी तरह तिलावत का सज्दा भी कर सकते हैं, हाँ तुलूओ ग़ुरूब और इस्तवा (सूरज निकलने, ग़ुरूब होने और ज़वाल) के वक़्त सज्दा करना मना है।

सवाल 27 : बाज़ लोगों का ख़याल है कि इमाम जहां तक मुसल्ले पर मौजूद न हो उस वक़्त तक इक़ामत न कहना चाहिये किया यह मस्अला सही है?

जवाब : महज़ ग़लत है, हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम हुजरए शरीफ़ में होते थे उसी वक़्त इक़ामत शुरू कर दी जाती थी, आप इक़ामत सुन कर मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। सही बुख़ारी और दीगर कुतुबे सिहाह में हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

जब इक़ामत कही जाए तो खड़े न हों, यहाँ तक कि मुझे बाहर आते देख लो।

इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आने से पहले ही इक़ामत शुरू की जाती थी।

सवाल 28 : फ़र्ज़ नमाज़ की क़िरत में इमाम भूल जाए तो मुक़्तदी लुक़्मा दे सकता है या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं फ़र्ज़ों में लुक़्मा देना जाइज़ नहीं?

जवाब : जिस तरह तरावीह में ज़रूरत के वक़्त लुक़्मा देना और लेना जाइज़ है, इसी तरह फ़र्ज़ और वित्र में भी ज़रूरत के वक़्त लुक़्मा लेना और देना जाइज़ है। न मुक़्तदी की नमाज़ फ़ासिद होती है और न इमाम की नमाज़ में फ़साद आता है।

फ़तावा आलमगीरी में है-

तर्जमा : सही यह है कि किसी हालत में भी लुक़्मा देने वाले की नमाज़ फ़ासिद न होगी और अगर इमाम मुक़्तदी का लुक़्मा ले तो इमाम की नमाज़ भी फ़ासिद न होगी।

सवाल 29 : अस्र या इशा के फ़र्ज़ों से पहले जो चार रकअत सुन्नत ग़ैर मुअक्कदह पढ़ी जाती हैं उनके क़अ्दए ऊला में अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिये या नहीं ? अकसर लोग अत्तहिय्यात पढ़ कर तीसरी रकअत के लिये खड़े हो जाते हैं?

जवाब : सुन्नते ग़ैर मुअक्कदह और नवाफ़िल के क़अ्दए ऊला में दुरूद शरीफ़ और तीसरी रकअत में सुब्हा न कल्ला हुम्मा पढ़ना चाहिये, इस लिये कि सुन्नते ग़ैर मुअक्कदह और नवाफ़िल में हर दो रकअत मुस्तक़िल नमाज़ है और दो रकअत के बाद जो क़अ्दा है वह क़अ्दए अख़ीरा के हुक्म में है, कुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 30 : अगर इमाम अत्तहिय्यात पूरी करके तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए और मुक़्तदी अत्तहिय्यात पूरी न पढ़ सके तो उस सूरत में मुक़्तदी इमाम के साथ खड़ा हो जाए या अत्तहिय्यात पूरी करके खड़ा हो?

जवाब : मुक़्तदी अपना तशह्हुद यानी अत्तहिय्यात पूरी करके खड़ा हो।

फ़तावा आलमगीरी में है-

मुक़्तदी के तशह्हुद पूरा करने से पहले इमाम खड़ा हो जाए या नमाज़ के क़अ्दए अख़ीरा में मुक़्तदी के तशह्हुद पूरा करने से पहले इमाम सलाम फेर दे तो मुख़्तार और सही यह है कि मुक़्तदी तशह्हुद पूरा करे।

सवाल 31 : हमारे यहाँ मशहूर है कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़े बग़ैर ईद की नमाज़ नहीं होती, चुनांचे ईद के दिन ईदगाह में एलान किया जाता है कि जिस ने फ़ज्र की नमाज़ नहीं पढ़ी है वह फ़ज्र की नमाज़ पढ़े वरना ईद की नमाज़ नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह मस्अला सही है कि फ़राइज़े पंजगाना और नमाज़े ईद के दर्मियान तर्तीब ज़रूरी है?

जवाब : अगर किसी ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़े बग़ैर ईद की नमाज़ पढ़ ली तो ईद की नमाज़ हो जाएगी, इस लिये कि फ़राइज़े पंजगाना और नमाज़े ईद के दर्मियान तर्तीब लाज़मी नहीं।

फ़तावा आलमगीरी में है-

अगर किसी ने फ़ज्र की नमाज़ नहीं पढ़ी है तो ईद की नमाज़ के जवाज़ को मना न किया जाएगा।

नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह है और गुनाह को ज़ाहिर करना भी गुनाह है इस लिये ईदगाह में फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा पढ़ने का एलान करना मुनासिब नहीं, फ़िक़ह की किताबों में इस मस्अले

की सराहत मौजूद है।

सवाल 32 : अकसर देखा गया है कि जिस वक़्त इमाम सज्दए सह्व करने के लिये सलाम फेरता है तो मस्बूक़ (जिसकी एक या एक से ज़्यादा रकअत छूट जाए ऐसे मुक़्तदी) भी इमाम के साथ सलाम फेर कर सज्दए सह्व करते हैं अब सवाल यह है कि मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सह्व करे तो सलाम फेर कर सज्दए सह्व करे या सलाम न फेरे, अगर मस्बूक़ ने इमाम के साथ क़स्दन सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब : मस्बूक़ इमाम के साथ सलाम न फेरे।

फ़तावा आलमगीरी में है-

मस्बूक़ सज्दए सह्व में इमाम की मुताबिअत करे, सलाम में मुताबिअत न करे-

रद्दुल मोहतार शरह दुर्रे मुख़्तार में है-

मस्बूक़ अपने इमाम के साथ सज्दए सह्व करे, सज्दे की क़ैद इस लिये ज़िक्र की कि मुक़्तदी सलाम में इमाम की मुताबिअत नहीं करेगा।

मस्बूक़ ने अगर इमाम के साथ क़स्दन सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी फ़तावा आलमगीरी में है-

पस अगर मुक़्तदी ने सलाम में इमाम की मुताबिअत की तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

सवाल 33 : सज्दए तिलावत करने के बाद सलाम फेरने की ज़रूरत है या नहीं? बाज़ लोगों को देखा है कि सज्दए तिलावत के बाद दोनों तरफ़ सलाम फेरते हैं?

जवाब : सज्दए तिलावत के लिये न तकबीरे तहरीमा है न तशह्हुद है और न सलाम है। तन्वीरुल अबसार में है-

सज्दए तिलावत एक सज्दा है दो तकबीरों के दर्मियान बग़ैर कानों तक हाथ उठाए और बग़ैर तशह्हुद और सलाम के।

मुस्तहब तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर हाथ उठाए बग़ैर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज्दे में जाए, तस्बीह (सुब्हाना रब्बियल अअ्ला) पढ़े फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए।

सवाल 34 : मालवा के इलाक़े में मशहूर है कि अगर इमाम सिर्फ़ टोपी से नमाज़ पढ़ाए तो नमाज़ मकरूह होती है क्या यह सही है?

जवाब : इमाम अमामे के बग़ैर सिर्फ़ टोपी से नमाज़ पढ़ा सकता है, बिला कराहत दुरूस्त है और सुन्नते मुस्तहब्बा का तर्क करना मकरूह नहीं।

बहरूर राइक़ में है-

मुस्तहब को छोड़ देने से कराहत साबित नहीं है इस लिये कि कराहत के लिए ख़ास दलील की ज़रूरत है।

फ़ुक़हाए किराम की तसरीहात से ज़ाहिर है कि सुन्नते मुस्तहब्बा का छोड़ना मकरूह नहीं।

सवाल 35 : नाबालिग़ हाफ़िज़ की इमामत दुरूस्त है या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं कि तरावीह और नवाफ़िल में नाबालिग़ की इमामत जाइज़ है क्या यह सही है?

जवाब : सही यह है कि फ़र्ज़ या हो तरावीह किसी नमाज़ में नाबालिग़ की इमामत जाइज़ नहीं, फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में है-

सही यह है कि नाबालिग़ के पीछे तरावीह जाइज़ नहीं, इस लिये कि नाबालिग़ मुकल्लफ़ नहीं है और उसकी नमाज़ दर हक़ीक़त नमाज़ नहीं है पस उस की इमामत मजनून की इमामत की तरह जाइज़ नहीं।

फिर हिदायह में भी इसी क़ौल को मुख़्तार बताया है।

और मुख़्तार यह है कि फ़राइज़ो नवाफ़िल तमाम नमाज़ों में उसकी इमामत जाइज़ नहीं।

इन तसरीहात से साफ़ ज़ाहिर है कि किसी नमाज़ में नाबालिग़ की इमामत जाइज़ नहीं।

सवाल 36 : अगर तहबन्द या पाएजामे के अन्दर लंगोट बंधा हो तो नमाज़ होगी या नहीं? मश्हूर है कि पाएजामे के अन्दर लंगोट बंधा हो तो नमाज़ नहीं होती है।

जवाब : जब लंगोट के ऊपर पाएजामा या तहबंद मौजूद है तो नमाज़ बिला शुबह जाइज़ है।

सवाल 37 : जो शख़्स जानवर ज़िबह करने के लिये मुक़र्रर हो यानी उजरत ले कर ज़िबह करता हो उसकी इमामत शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब : अवाम में जो मश्हूर है कि उजरत पर ज़िबह करने वाले की इमामत जाइज़ नहीं महज़ ग़लत और बे अस्ल बात है उसकी इमामत बिला कराहत जाइज़ है।

सवाल 38 : बाज़ देहात में यह मस्अलह मश्हूर है कि इमाम अगर तहबंद बाँध कर नमाज़ पढ़ाए तो नमाज़ मकरूह होती है, यह बात कहाँ तक सही है?

जवाब : यह बात बिल्कुल बे अस्ल है, हदीसों से साबित है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा तहबंद बांधा और नमाज़ पढ़ाई, पस जो काम हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम से साबित है उसे मकरूह बताना जहालत है।

सवाल 39 : ईद के दिन इमाम या क़ाज़ी को ताशे बाजे के साथ ईदगाह ले जाना जाइज़ है या नहीं? अगर नाजाइज़ है तो जो इमाम जाइज़ बताए उसे इमाम बनाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : बाजा बजाना भी मना है और बाजे के साथ इमाम को जाना भी मना है, जो शख़्स इस फ़ैल को जाइज़ बताए वह फ़ासिक़ है उसकी इमामत मकरूह तहरीमी है और उसे इमाम बनाना गुनाह है, कबीरी में है-

अगर किसी फ़ासिक़ को नमाज़ियों ने इमाम बनाया तो सब इस बिना पर गुनहगार होंगे कि उसकी इमामत मकरूह तहीरीमी है।

फ़िक़ह की दीगर किताबों में भी यह मस्अला मज़कूर है।

सवाल 40 : दाढ़ी मुन्डे की इमामत जाइज़ है या नहीं? अगर महल्ले की मस्जिद में दाढ़ी मुन्डा इमाम हो तो इस सूरत में क्या करना चाहिये?

जवाब : दाढ़ी मुन्डाने वाला फ़ासिक़े मुअ्लिन है और फ़ासिक़े मुअ्लिन को इमाम बनाना गुनाह है। इस लिये कि उसकी इमामत मकरूह तहरीमी है।

कबीरी में है-

अगर किसी फ़ासिक़ को नमाज़ियों ने इमाम बनाया तो सब इस बिना पर गुनहगार होंगे कि उसकी इमामत मकरूह तहरीमी है।

अगर महल्ले की मस्जिद का इमाम फ़ासिक़ हो तो इजाज़त है कि दूसरी मस्जिद में जा कर नमाज़ जमाअत से अदा करे।

सवाल 41 : इमाम की मौजूदगी में बिला इजाज़त कोई शख़्स अपनी ख़्वाहिश या बाज़ मुक़्तदियों की फ़रमाइश की बिना पर नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं?

जवाब : मस्जिद में जो इमाम मुक़र्रर है उसकी मौजूदगी में किसी को इमामत का हक़ नहीं, अलबत्ता इमाम से इजाज़त हासिल करके पढ़ा सकता है।

सवाल : 42 राजस्थान के बाज़ शहरों में यह मस्अला मशहूर है कि ग़ैर शादी शुदा की इमामत मकरूह है क्या इस बात की शरअ् में कोई अस्ल है?

जवाब : ग़ैर शादी शुदा अगर इमामत का अहल है तो उसकी इमामत बिला कराहत जाइज़ है, इसके ख़िलाफ़ जाहिलों में जो मशहूर है वह ग़लत और बे अस्ल है।

सवाल 43 : ख़ुत्बा और नमाज़ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं? अगर किसी ने लाउड स्पीकर की आवाज़ पर इमाम की इक़्तिदा की तो उसकी नमाज़ दुरूस्त होगी या नहीं?

जवाब : नमाज़ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जाइज़ नहीं। जो नमाज़ी उसकी आवाज़ पर इक़्तिदा करेंगे उनकी नमाज़ फ़ासिद होगी

इनाया में है–

ग़ैर से तल्क़ीन नमाज़ को ला मुहाला फ़ासिद कर देता है

अलबत्ता ख़ुतबए जुमा, ख़ुतबए ईदैन और दीगर मजालिसे ख़ैर में लाउड स्पीकर इस्तिमाल करने की इजाज़त है।

सवाल 44 : अकसर मक़ामात पर दस्तूर है कि दूसरे ख़ुत्बे में ख़तीब जिस वक़्त सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा पढ़ता है तो सामेईन (सुनने वाले) बलन्द आवाज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं तो क्या यह दुरूस्त है?

जवाब : ख़ुतबा सुनना और ख़ामोश रहना वाजिब है इस लिये ख़ुत्बे की हालत में सामेईन (सुनने वालों) को बलन्द आवाज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना मना है, अलबत्ता दिल में पढ़ सकते हैं।

दुर्रे मुख़्तार में है–

और सही यह है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम पर आपका नाम नामी सुन कर दिल में दुरूद पढ़े।

सवाल 45 : ख़ुत्बे की अज़ान के बाद सामेईन (सुनने वाले) दुआ कर सकते हैं या नहीं ? जवाब मुदल्ल हो।

जवाब : मना है, इसलिये कि दुआ ज़िक्र है और ख़तीब के मिम्बर पर आने के बाद ज़िक्र मकरूह है, फ़तावा सिराजियह और फ़िक़ह की दीगर किताबों में है–

जब इमाम ख़ुत्बे के लिए आए तो जब तक ख़ुत्बे से फ़ारिग़ न हो हर क़िस्म का ज़िक्र मकरूह है और दुआ भी अनवाए ज़िक्र से है।

हाँ ख़तीब दुआ कर सकता है इस लिये कि वह सकूत के

साथ मामूर और मुकल्लफ़ नहीं। वल्लाहो अअ्लम

सवाल 46 : ख़ुत्बे की अज़ान का जवाब सामेईन (सुनने वाले) दे सकते हैं या नहीं? शरई हुक्म क्या है?

जवाब : जिस वक़्त ख़तीब मिम्बर पर आए उस वक़्त से ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होने तक सामेईन (सुनने वालों) को दीनी और दुनियवी हर क़िस्म का कलाम करना मना है, इस लिये ख़ुत्बे की अज़ान का जवाब देना जाइज़ नहीं।

दुर्रे मुख़्तार में है-

बिल इत्तिफ़ाक़ मुनासिब यह है कि ज़बान से उस अज़ान का जवाब न दे जो ख़तीब के सामने दी जाती है। हाँ ख़तीब को इजाज़त है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 47 : अकसर लोगों को देखा है कि ख़ुतबए सानिया के वक़्त सुन्नतें अदा करते हैं, अब सवाल यह है कि ख़ुतबए सानिया के वक़्त सुन्नतें पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : आम लोगों में यह बात ग़लत मशहूर है सही यह है कि ख़ुत्बे की हालत में नमाज़ पढ़ना या ज़िक्र करना मना है।

हिदायह में है-

जब इमाम जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये निकल आए तो लोग नमाज़ और गुफ़्तगू उस वक़्त तक के लिये छोड़ दें कि इमाम ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हो जाए।

सवाल 48 : हमारे अतराफ़ में आम रिवाज है कि पहले अरबी में फिर उर्दू में ख़ुत्बा पढ़ते हैं यह शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब : अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में ख़ुत्बा

पढ़ना मकरूह और ख़िलाफ़े सुन्नत है, हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से फ़ारसी ज़बान में ख़ुत्बा पढ़ने की इजाज़त तलब की गई तो उन्होंने हुक्म दिया कि-

ख़ुत्बा तो अरबी ही में पढ़ा जाएगा।

सवाल 49 : आम तौर पर क़ाज़ी निकाह का ख़ुत्बा बैठ कर पढ़ते हैं अब सवाल यह है कि ख़ुत्बए निकाह पढ़ने का मस्नून तरीक़ा क्या है?

जवाब : ख़ुत्बए निकाह भी खड़े होकर पढ़ना मस्नून है, जो क़ाज़ी ख़ुत्बए निकाह किसी उज़्र के बग़ैर बैठ कर पढ़ता है वह सुन्नत तर्क करता है।

सवाल 50 : लोगों में मशहूर है कि जो शख़्स ख़ुदकुशी करे उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं क्या यह मस्अला सही है?

जवाब : आम तौर पर यह मस्अला बहुत मशहूर है कि ख़ुदकुशी करने वाले के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ी जाए लेकिन सही मस्अला यह है कि उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाए।

दुर्रे मुख़्तार में है-

ख़ुदकुशी करने वाले को ग़ुस्ल दिया जाएगा और उस पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ी जाएगी। यही मुफ़्ताबिह है।

सवाल 51 : मजनून के जनाज़े की नमाज़ में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिये?

जवाब : जो शख़्स पैदाइशी दीवाना न हो या बालिग़ होने से पहले दीवाना हो गया और उसी दीवानगी और जुनून की

हालत में मर जाए उसके जनाज़े की नमाज़ में वही दुआ पढ़ी जाए, जो नाबालिग़ मैयित के लिये पढ़ी जाती है।

कबीरी की किताबुल जनाइज़ में है–

मजनून नाबालिग़ बच्चे की तरह है उसे मुहीत में ज़िक्र किया है, और मुनासिब यह था कि जुनून अस्ली के साथ मुक़य्यिद करते इस लिये कि वह ग़ैर मुकल्लफ़ है उसका कोई गुनाह नहीं, जैसे नाबालिग़ बच्चा।

सवाल 52 : आम तौर पर लोगों में मश्हूर है कि औरत के मरने के बाद उसका चहरा ख़ाविन्द नहीं देख सकता, क्या इस मस्अले की शरीअत में कोई अस्ल है?

जवाब : यह मस्अला जाहिलों में बहुत मश्हूर है, लेकिन महज़ ग़लत और बे अस्ल है सही यह है कि औरत के मरने के बाद ख़ाविन्द उसका चहरा देख सकता है, हाँ किसी हाइल के बग़ैर छू नहीं सकता।

दुर्रे मुख़्तार में है–

शौहर अपनी (मरहूमा) औरत को ग़ुस्ल देने और छूने से रोका जाएगा न कि उसे देखने से।

सवाल 53 : ऐसे उर्सों में जहाँ पर्दे का इन्तिज़ाम न हो औरतों का जाना शरअन दुरूस्त है या नहीं ? जो शरई हुक्म हो तहरीर फ़रमाएं?

जवाब : औरतों के मज़ारात पर जाने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है और सही यह है कि औरतों को मज़ारात पर जाने से मना कियां जाए, ख़ुसूसन उर्सों में जहाँ मजमअ् की कसरत

की वजह से मर्दों और औरतों का इख़्तिलात (मेल जोल) हो और पर्दा मुम्किन न हो। औरतों को जाना क़तअन मना है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 54 : शवे जुमअ् में जिस का इन्तिक़ाल हो उसकी मैयित को जुमे की नमाज़ तक इस लिये रखते हैं कि जनाज़े में आदमियों की कसरत हो जाए, क्या यह जाइज़ है?

जवाब : बिला उज़्रे शरई नमाज़े जुमा तक मैयित को रखना जाइज़ नहीं।

दुर्रे मुख़्तार में है–

मैयित की नमाज़ और दफ़्न में इस लिये ताख़ीर करना कि नमाज़े जुमे के बाद बड़ी जमाअत मैयित की नमाज़ पढ़े मकरूह है।

इस इबारत से साफ़ ज़ाहिर है कि बड़ी जमाअत के लिये जुमे की नमाज़ तक मैयित को रखना मकरूह है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 55 : हमारे यहाँ दस्तूर है कि मैयित को दफ़्न करने के बाद चन्द क़दम हटकर फ़ातिहा पढ़ते हैं किया इसकी शरअ् शरीफ़ में कोई अस्ल है?

जवाब : मैयित को दफ़्न करने के बाद ईसाले सवाब यानी फ़ातिहा पढ़ना बिला शुबह जाइज़ है, लेकिन फ़ातिहा पढ़ने के लिए चन्द क़दम हटना बे अस्ल है।

सवाल 56 : मैयित के लिये इस्क़ात में चन्द सैर गेहूँ के साथ कुरआन शरीफ़ इस ख़याल से दिया जाता है कि तमाम नमाज़ों

और रोज़ों का कफ़्फ़ारा अदा हो जाता है, क्या यह ख़याल सही है?

जवाब : क़ुरआन शरीफ़ की बाज़ार में जितनी क़ीमत होगी उसके मुताबिक़ कफ़्फ़ारा अदा होगा। यह ख़याल कि क़ुरआन शरीफ़ देने से तमाम नमाज़ों का कफ़्फ़ारा अदा हो जाता है फ़रेबे नफ़्स है।

सवाल 57 : क़ब्र में शजरह रखना जाइज़ है या नहीं? अगर जाइज़ है तो उसे रखने का बहतर तरीक़ा क्या है? महरबानी फ़रमाकर मुफ़स्सल जवाब दें।

जवाब : क़ब्र में शजरह रखना जाइज़ है, बल्कि बुज़ुर्गाने दीन और सलफ़े सालिहीन का मामूल है, शजरह रखने का बहतर तरीक़ा यह है कि क़ब्र में क़िब्ले की जानिब एक ताक़ खोद दें और उसमें शजरह रख दें, इसमें एक फ़ाएदा तो यह है कि मैयित के बदन से जो रतूबत निकलती है उसमें मुलव्विस (ख़राब, गन्दा) होने से शजरह महफ़ूज़ रहेगा। और बे हुरमती न होगी। और दूसरा फ़ाएदा यह है कि शजरह मैयित के पैशे नज़र रहेगा।

सवाल 58 : रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा जाता रहता है?

जवाब : मरीज़ रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकता है, उससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होता यही सही है, वल्लाहो तआला अअ्लम

सवाल 59 : बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़े की हालत में मिस्वाक करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है क्या यह सही है?

जवाब : यह बात लोगों में ग़लत मशहूर है, सही यह है कि रोज़े की हालत में मिस्वाक करना बिला कराहत जाइज़ है।

हिदायह में है-

रोज़ेदार को सुबह और बाद ज़वाल मिस्वाक करने में कोई हरज नहीं, हुज़ूर के इस फ़रमान की बिना पर मिस्वाक करना रोज़ेदार की बहतरीन ख़सलत है।

इसी तरह फ़िक़ह हनफ़ी की दीगर कुतुब में भी इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 60 : हर रोज़ेदार पर ईद का फ़ितरा देना वाजिब है या सिर्फ़ साहिबे निसाब पर वाजिब है ? महरबानी फ़रमाकर मुदल्लल जवाब दें।

जवाब : हर रोज़ेदार पर ईद का फ़ितरा देना वाजिब नहीं, फ़ितरा देना सिर्फ़ उसी मुसलमान पर वाजिब है जो ईद के दिन साहिबे निसाब हो। हिदायह में है-

सदक़ए फ़ित्र आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है, बशर्ते कि मिक़्दारे निसाब का मालिक हो। इसी तरह फ़िक़ह हनफ़ी की तमाम किताबों में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 61 : औरत ग़ैर महरम के साथ हज के लिये सफ़र कर सकती है या नहीं?

जवाब : औरत हज के लिये अपने ख़ाविन्द के साथ सफ़र करे या किसी महरम के साथ जाए, औरत को किसी ग़ैर महरम के साथ हज के लिये सफ़र करना मना है अगर जाएगी तो गुनहगार होगी।

सवाल 62 : हमारे यहाँ क़ाज़ी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो पहले ईजाबो कुबूल कराते हैं इसके बाद ख़ुत्बा पढ़ते हैं क्या यह तरीक़ा सही है?

जवाब : मस्नून तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी पहले ख़ुत्बए निकाह पढ़े फिर ईजाबो कुबूल कराए, ईजाबो कुबूल के बाद ख़ुत्बा पढ़ना जैसाकि बाज़ जाहिल क़ाज़ियों का तरीक़ा है। सुन्नते नबवी के ख़िलाफ़ अहादीसे सहीहा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम पहले ख़ुत्बा पढ़ते थे।

सवाल 63 : हमारे यहाँ रिवाज है कि क़ाज़ी साहब निकाह के वक़्त ईजाबो कुबूल कराने से पहले दुल्हा को कलिमे और आमन्तु बिल्लाह पढ़ाते हैं क्या यह ज़रूरी है?

जवाब : ईजाबो क़ुबूल से पहले आमन्तु बिल्लाह पढ़वाना क़ुरआन, हदीस और कुतुबे फ़िक़्ह से साबित नहीं इस लिये ज़रूरी नहीं।

सवाल 64 : आज कल निकाह का एक नया तरीक़ा जारी हुआ है जिसे सिविल मेरेज कहते हैं, शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब : सिविल मेरेज की शरअ् शरीफ़ में कोई अस्ल नहीं, जब तक निकाह के शराइत न पाए जाएंगे निकाह नहीं होगा।

सवाल 65 : अगर मुसलमान लड़की बालिग़ होने के बाद किसी ग़ैर मुस्लिम से निकाह करे तो निकाह होगा या नहीं ?

जवाब : मुसलमान औरत का ग़ैर मुस्लिम से निकाह हराम है, अगर किसी मुसलमान औरत ने ग़ैर मुस्लिम से निकाह किया

तो निकाह न होगा बल्कि ज़िना होगा, जो औरतें ऐसा करती हैं, वह तमाम उम्र ज़िना की मुर्तकिब (मुजरिम) होती हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

न मुसलमान औरतें मुशरिकीन के लिये हलाल हैं और न मुशरिक मर्द मुसलमान औरतों के लिये हलाल हैं।

सवाल 66 : जो औरत ज़िना से हामिला हो उससे हमल की हालत में निकाह जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जिस औरत को ज़िना का हमल है उससे हमल की हालत में निकाह जाइज़ है।

फ़तावा आलमगीरी और दीगर कुतुबे फ़िक़्ह में है-

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और इमामे मुहय्य फ़रमाते हैं कि ज़िना से जो औरत हामिला हो उससे हालते हमल में निकाह जाइज़ है।

लेकिन वज़अ् हमल तक सोहबत न करे, हाँ उस औरत से ज़ानी ही निकाह करे तो उसके लिये सोहबत भी दुरूस्त है।

सवाल 67 : अवाम में मशहूर है कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर शौहर के घर से निकल जाए तो निकाह से बाहर हो जाती है, क्या यह बात सही है ?

जवाब : अवाम का ख़याल महज़ ग़लत है औरत निकाह से बाहर नहीं होती, लेकिन शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसके घर से निकल जाने से गुनहगार होती है।

सवाल 68 : किसी शख़्स ने ग़ुस्से की हालत में अपनी बीवी से कहा, 3तू मेरी माँ है4 ऐसी सूरत में औरत निकाह से

बाहर हुई या नहीं ?

जवाब : ऐसा कलिमा कहने से निकाह में तो कोई ख़राबी नहीं आती, लेकिन औरत से ऐसा कलिमा कहना जाइज़ नहीं।

फ़तावा आलमगीरी और दीगर कुतुबे फ़िकह में है–

अगर किसी ने अपनी औरत से कह दिया 3तू मेरी माँ है4 तो मज़ाहिर न होगा ऐसा कहना मकरूह है।

सवाल 69 : ज़ैद शराबी है उसने नशे की हालत में अपनी औरत को तलाक़ दे दी, हमारे इमाम साहब फ़रमाते हैं कि नशे की हालत में होशो हवास दुरूस्त नहीं रहते इस लिये तलाक़ नहीं हुई। दरियाफ़्त तलब यह अम्र है कि तलाक़ वाक़े हुई या नहीं।

जवाब : आपके इमाम ने मस्अला ग़लत बयान किया है, सही यह है कि शराबी ने नशे की हालत में जो तलाक़ दी है वह वाक़े हो गई।

कुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 70 : सोतेली माँ की बहन से निकाह जाइज़ है या नहीं ? हमारे यहाँ इस मस्अले में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया है बाज़ लोगों का कहना है कि सोतेली माँ की बहन सोतेली ख़ाला हुई और सोतेली ख़ाला से निकाह जाइज़ नहीं, इस लिये महरबानी करके जवाब साफ़ साफ़ तहरीर फ़रमाएं।

जवाब : शरअन कोई चीज़ मानेअ् न हो तो सोतेली माँ की बहन से निकाह जाइज़ है इस लिये कि सोतेली माँ दर हक़ीक़त माँ नहीं है, जो इसकी बहन को सोतेली ख़ाला कहा जा सके,

कुरआने करीम में सोतेली माँ को माओं की फ़हरिस्त से अलैहिदा कर दिया गया है।

सवाल 71 : ज़ैद अपने चचा मरहूम की बैवा यानी अपनी चची से निकाह करना चाहता है किया यह निकाह जाइज़ होगा ? बाज़ लोग कहते हैं कि चची से निकाह जाइज़ नहीं।

जवाब : अगर रज़ाअत मानेअ् न हो तो इद्दत के बाद निकाह हो सकता है, इस लिये कि चची मुहर्रमात (जिनसे निकाह हराम है उन) में नहीं है, कुरआने पाक में मुहर्रमात बयान करने के बाद इरशाद है–

इन मुहर्रमात के अलावा बाक़ी औरतें तुम्हारे लिये हलाल की गई हैं।

लोगों का इस निकाह को नाजाइज़ बताना जहालत पर मबनी है।

सवाल 72 : मामुँ के मरने के बाद बैवा मुमानी से निकाह जाइज़ है या नहीं ? लोग उस निकाह को भी नाजाइज़ बताते हैं शरई मस्अलह क्या है?

जवाब : बिला शुबह जाइज़ है, इद्दत के बाद निकाह हो सकता है इस लिये कि मुमानी भी मुहर्रमात में नहीं है।

कुरआने करीम में इरशाद है–

तर्जमा : इन मुहर्रमात के अलावा बाक़ी औरतें तुम्हारे लिये हलाल की गई हैं।

जिस बात को अल्लाह व रसूल ने हलाल और जाइज़ बताया है उसे नाजाइज़ और हराम समझना बहुत बड़ी

जहालत और गुमराही है।

सवाल 73 : किसी की बैवा या मुतल्लक़ा (तलाक़ शुदा) से इद्दत के अन्दर निकाह जाइज़ है या नहीं? और अगर किसी ने निकाह किया तो निकाह होगा या नहीं?

जवाब : इद्दत के अन्दर निकाह करना तो दर कनार खुल्लम खुल्ला पयाम देना भी हराम है।

क़ुरआन में है-

तर्जमा : और हरगिज़ अक़्दे निकाह का इरादा न करना यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए।

अगर किसी ने इद्दत के अन्दर निकाह कर लिया तो निकाह जाइज़ न होगा।

फ़तावा आलमगीरी में है-

किसी शख़्स को जाइज़ नहीं कि दूसरे की मन्कूहा से शादी करे और इसी तरह मुअ्तदह से इद्दत में निकाह जाइज़ नहीं।

सवाल 74 : शादी के सिल्सिले में लड़की वाले लड़के वालों से अपनी लड़की पर कोई रक़म तय करके ले सकते हैं या नहीं?

जवाब : मुशरिकीन का तरीक़ा है इस्लाम किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं देता। हाज़ा हुवल हक़।

सवाल 75 : हमारे यहाँ मशहूर है कि अगर शादी शुदा औरत ज़िना की मुरतकिब हो जाए तो निकाह टूट जाता है क्या यह मस्अलह सही है?

जवाब : इसमें कोई शुबह नहीं कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है

लेकिन इस फ़ेल से निकाह नहीं टूटता। जाहिलों में जो मशहूर है वह महज़ ग़लत है।

सवाल 76 : औरत को उसके मैके से जो सामान जहेज़ में मिलता है वह औरत की मिल्कियत है या उसके शौहर की? महरबानी फ़रमा कर शरई हुक्म बयान फ़रमाएं।

जवाब : जहेज़ का सामान दामाद को नहीं दिया जाता बल्कि लड़की को दिया जाता है इस लिये जहेज़ की हर चीज़ कपड़ा हो या ज़ेवर, नक़दी हो या दीगर सामान सब लड़की ही की मिल्कियत है उसकी ज़िन्दगी में शौहर का जहेज़ के सामान में कोई हक़ नहीं।

रद्दुल मोहतार में है-

जहेज़ का सामान औरत का है और शौहर जिस वक़्त तलाक़ देगा तो औरत अपना कुल जहेज़ ले लेगी।

सवाल 77 : माहे मुहर्रम में शादी ब्याह करना जाइज़ है या नहीं ? बाज़ लोगों को यह कहते सुना है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना जाइज़ नहीं।

जवाब : मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करने की शरअन मुमानअत नहीं, हर महीने और हर तारीख़ में शादी ब्याह करना दुरूस्त और जाइज़ है। अवाम का ख़याल महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है।

सवाल 78 : बाज़ लोग माहे सफ़र की 13 तारीख़ को मनहूस समझते हैं, इस बिना पर उनको तेरा तेज़ी कहते हैं और इन दिनों में शादी ब्याह नहीं करते, क्या इस बात की शरअ् में कोई अस्ल है।

जवाब : अवाम का इन तारीख़ों को मन्हूस समझना जहालत पर मबनी है, शरअ् में इन जहालत की बातों की कोई सनद नहीं। वल्लाहो अअ्लम।

सवाल 79 : शादी में दुल्हा को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है क्या यह शादी जाइज़ है?

जवाब : मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है।

मुस्लिम शरीफ़ में सही हदीस है-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से (मर्दों को) मना किया है।

हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ में हरीर और बाएं हाथ में सोना लेकर फ़रमाया-

तहक़ीक़ यह रेशम और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है

हिदायह और दीगर कुतुबे फ़िक़्ह में है-

मर्दों को सोने का ज़ेवर पहनना जाइज़ नहीं, इस हदीस से जिसे हम ने रिवायत किया।

मुसलमानों को चाहिये कि इस क़िस्म की ख़िलाफ़े शरअ् बातों को मिटाने की कोशिश करें।

सवाल 80 : जिस जगह चन्द लोग जमा होकर क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत कर रहे हों वहाँ बलन्द आवाज़ से तिलावत करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जिस मज्लिस में चन्द लोग तिलावत कर रहे हों वहाँ हर शख़्स को आहिस्ता इतनी पस्त आवाज़ से पढ़ना

चाहिये, ताकि आवाज़ें टकराएं नहीं। ऐसी हालत में बलन्द आवाज़ से पढ़ना मना है।

सवाल 81 : अवाम में मश्हूर है कि सूरए तौबह से तिलावत शुरू की जाए तो भी बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, यह कहाँ तक सही है?

जवाब : अगर सूरए तौबह से तिलावत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाए और अगर सूरए तौबह तिलावत के दर्मियान आ जाए तो बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं।

सवाल 82 : किसी काफ़िर या मुशरिक के मरने के बाद उसके लिये मग़फ़िरत की दुआ करना या क़ुरआन शरीफ़ पढ़ कर बख़्शना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : काफ़िर व मुशरिक के मरने के बाद उसके लिये मग़फ़िरत की दुआ करना या उसकी रूह को क़ुरआन शरीफ़ पढ़ कर बख़्शना हराम है और ऐसा शख़्स बदतरीन गुनाह का मुर्तकिब है।

क़ुरआने करीम में है-

तर्जमा : नबी और ईमान वालों के लिये जाइज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिये मग़फ़िरत की दुआ करें अगरचेह मुशरिकीन रिश्तेदार हों।

सवाल 83 : हिन्दुस्तान में रिवाज है कि 22 रजब को मिट्टी के कून्डों में पूरियाँ या मिठाई भर कर इमाम जाफ़र सादिक़ की फ़ातिहा दिलाते हैं फिर उस तबर्रुक को घर से बाहर नहीं जाने देते, जिसे खिलाते हैं घर के अन्दर खिलाते हैं

क्या शरअन जाइज़ है?

जवाब : फ़ातिहा जाइज़ है।

हिदायह में है-

इस बाब में अस्ल यह है कि इन्सान को जाइज़ है कि अपने अमल का सवाब जिस मुसलमान को चाहे बख़्श दे, नमाज़ हो या रोज़ा, सदक़ा हो या कोई और नेकी अहले सुन्नत के नज़दीक

जवाब का ख़ुलासा यह है कि फ़ातिहा जाइज़ है, अलबत्ता मिट्टी के कून्डों को ज़रूरी समझना या घर से बाहर ले जाने को नाजाइज़ समझना यह सब लग़्व और फ़ुज़ूल बातें हैं जिनका इज़ाला (दूर करना) ज़रूरी है।

सवाल 84 : औरतें फ़ातिहा दे सकती हैं या नहीं ? अमूमन औरतें फ़ातिहा नहीं देती हैं?

जवाब : औरतें भी फ़ातिहा दे सकती हैं, शरअन मुमानअत नहीं।

सवाल 85 : बाज़ देहात में यह मस्अला मश्हूर है कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा ख़ातूने जन्नत की नज़्र का खाना सिर्फ़ औरतें खा सकती हैं, मर्द नहीं खा सकते क्या यह सही है?

जवाब : औरतें भी खा सकती हैं और मर्द भी खा सकते हैं। शरअन सबको खाने की इजाज़त है, जाहिलों का ख़याल महज़ ग़लत है।

सवाल 86 : मुहर्रम के महीने में 10 तारीख़ तक इमामे आली मक़ाम के सिवा किसी दूसरे बुज़ुर्ग की फ़ातिहा देना जाइज़ है या

नहीं? बाज़ लोग कहते हैं कि 10 तारीख़ तक हज़रत इमाम के सिवा किसी की फ़ातिहा करना जाइज़ नहीं?

जवाब : जाहिलों में यह बात ग़लत मश्हूर है, सही मस्अला यह है कि जिस दिन चाहें, जिसकी चाहें फ़ातिहा दे सकते हैं।

सवाल 87 : लोगों में यह बात मश्हूर है कि शिकार के गोश्त पर फ़ातिहा देना जाइज़ नहीं किया यह मस्अला सही है?

जवाब : यह बात ग़लत और बे अस्ल है शरई मस्अला यह है कि जो चीज़ जाइज़ तरीक़े से मुसलमान के मिल्क (क़ब्ज़े) में आती हो उसे ख़ुदा की राह में दे कर उसका ईसाले सवाब करना जाइज़ है।

सवाल 88 : फ़ातिहा में खाने के साथ पानी रख सकते हैं या नहीं ? बाज़ लोग खाने के साथ पानी रखने को मना करते हैं ?

जवाब : पानी बहतरीन सदक़ा है, सही हदीस है किसी ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह कौन सा सदक़ा बहतर है ? तो आपने जवाब दिया, **पानी बहतरीन सदक़ा है** पानी सामने रखने में कोई मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं बल्कि बहतर है

सवाल 89 : मुसलमान धोबी अपने यहाँ फ़ातिहा का खाना खिलाना चाहे तो मुसलमान उसके यहाँ खाना खा सकते हैं या नहीं?

जवाब : जाहिलों में बहुत मश्हूर है कि धोबी के यहाँ खाना न खाना चाहिये, बाज़ जाहिल तो नाजाइज़ बता देते हैं। हालांकि यह बात बिल्कुल ग़लत और बेअस्ल है, शरअन धोबी के यहाँ खाना खाने की मुमानअत नहीं।

सवाल 90 : आम तौर पर अक़ीक़े में लड़के के लिये नर और लड़की के लिये मादा ज़िबह करते हैं किया इसके बर अक्स यानी लड़के के लिये बकरी और लड़की के लिये बकरा ज़िबह कर सकते हैं?

जवाब : बिला शुबह जाइज़ है सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है-

लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी और तुम्हारा कोई नुक़्सान नहीं, नर हो या मादा। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर है कि लड़के के लिये मादा और लड़की के लिये नर ज़िबह कर सकते हैं।

सवाल 91 : अगर ग़रीब आदमी अपनी ग़ुबरत की वजह से लड़के के अक़ीक़े में सिर्फ़ एक बकरा ज़िबह करे तो जाइज़ होगा या नहीं?

जवाब : अगर लड़के के अक़ीक़े में दो बकरे ज़िबह करने की इस्तिताअत न हो तो एक बकरा या एक बकरी ज़िबह करना काफ़ी होगा, अक़ीक़ा हो जाएगा।

सवाल 92 : अवाम में मशहूर है कि अक़ीक़े का गोश्त बच्चे के माँ-बाप, दादा-दादी और नाना-नानी नहीं खा सकते हैं किया यह शरई मस्अला है?

जवाब : अक़ीक़े का गोश्त बच्चे के माँ-बाप, दादा-दादी और नाना-नानी सब खा सकते हैं, शरअन किसी क़िस्म की मुमानअत नहीं।

सवाल 93 : यहाँ अवाम में मशहूर है कि ख़स्सी की क़ुरबानी जाइज़ नहीं इस लिये कि ख़स्सी नाक़िसुल अअ्ज़ा होता है?

जवाब : महज़ ग़लत मशहूर है, शरअन ख़स्सी की क़ुरबानी जाइज़ है बल्कि अफ़ज़ल है क़ुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

बहरुर्राइक़ में है-

इमाम अबू हनीफ़ा से मर्वी है कि ख़स्सी की क़ुरबानी बहतर है, इस लिये कि उसका गोश्त लज़ीज़ होता है।

हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ख़स्सी की क़ुरबानी की है, चुनांचे जाबिर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है-

हुज़ूर ने क़ुरबानी के दिन दो बकरे ज़िबह फ़रमाए, जो बड़े बड़े सींग वाले सियाह और सफ़ेद और ख़स्सी थे।

सवाल 94 : अगर शिकारी ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर बन्दूक़ से गोली मारी, गोली शिकार को लग गई और शिकार ज़िबह करने से पहले मर गया उसका गोश्त हलाल है या मुरदार है? हमारे यहाँ इस्लामी जमाअत का एक शख़्स कहता है कि वह गोश्त हलाल है?

जवाब : बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा हो या न कहा हो, हर सूरत में शिकार अगर ज़िबह करने से पहले मर जाए तो मुर्दार है उसे खाना हराम है। क़ुतुबे फ़िक़ह में इसकी सराहत मौजूद है।

सवाल 95 : हमारे मौलवी साहब ने यह मस्अला बयान किया कि शौक़िया शिकार खेलना जाइज़ नहीं,

क्या मस्अला सही है ?

जवाब : आपके मौलवी साहब ने यह मस्अला सही बयान किया है, ज़रूरत के लिये शिकार खेलना शरअन जाइज़ है, लेकिन बिला ज़रूरत महज़ शौक़िया शिकार खेलना मना है। फ़ुक़हाए किराम ने इस मस्अले की तसरीह फ़रमाई है

दुर्र मुख़्तार में है-

शिकार खेलना जाइज़ है मगर तफ़रीहन यानी खेल कूद के तौर पर जाइज़ नहीं।

शामी, मजमउल फ़तावा, बज़्ज़ाज़या और दीगर कुतुबे फ़िक़ह में यह मस्अला मज़कूर है।

सवाल 96 : बाज़ लोग कहते हैं कि जिस तरह दूसरे जानवरों को ज़िबह किया जाता है मछली को क्यूँ नहीं ज़िबह किया जाता?

जवाब : ज़िबह करने का मक़सद यह है कि ख़ून निकल जाए चूकि मछली में ख़ून नहीं है इस लिये उसे ज़िबह करने का हुक्म भी नहीं है।

सवाल 97 : देहात में रिवाज है कि मुसलमान ज़िबह करने वाला बकरे ज़िबह करके चला जाता है फिर खटीक गोश्त पोस्त बनाकर फ़रोख़्त करते हैं, ऐसा गोश्त मुसलमानों को खाना दुरूस्त है या नहीं? शरई हुक्म तहरीर फ़रमाएं।

जवाब : ऐसा गोश्त मुसलमानों को खाना हराम है, खटीक का यह कहना कि यह वही गोश्त है जिसे मुसलमान ने ज़िबह किया था शरअन क़ाबिले क़ुबूल नहीं।

फ़तावा आलमगीरी में है-

दयानात में काफ़िर की बात क़ाबिले क़ुबूल नहीं।

हाँ अगर ज़िबह के वक़्त से ख़रीदारी के वक़्त तक गोश्त मुसलमान की नज़र से ग़ाइब न रहा कोई न कोई मुसलमान देखता ही रहा तो जाइज़ है, लेकिन अगर किसी वक़्त ज़रा देर के लिये भी मुसलमान की नज़र से ओझल होकर मुशरिक के क़ब्ज़े में रहा हो तो उस गोश्त का खाना मुसलमानों को हराम है

सवाल 98 : अवाम में यह मस्अला मश्हूर है कि जिस छुरी में 3 कीलें और लकड़ी का दस्ता न हो उस छुरी से ज़िबह करना दुरूस्त नहीं, यह मस्अला सही है या नहीं?

जवाब : अवाम का यह ख़याल महज़ ग़लत और बेअस्ल है, हर धारदार चीज़ से ज़िबह करना जाइज़ है।

सवाल 99 : आम लोगों में मश्हूर है कि नाबालिग़ का ज़िबह मकरूह है क्या यह सही है?

जवाब : लोगों में ग़लत मश्हूर है सही यह है कि ज़िबह के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं, अगर नाबालिग़ ज़िबह करना जानता है तो उसका ज़बीहा बिला कराहत जाइज़ है। कुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 100 : अवाम में यह मस्अला मश्हूर है कि अगर ज़िबह करते वक़्त ज़बीहा का सर अलग हो जाए तो ज़बीहा मकरूह हो जाता है उसे न खाना चाहिये किया यह मस्अला सही है?

जवाब : ज़िबह करते वक़्त क़सदन सर अलैहदा न करना चाहिये लेकिन धार तेज़ होने की वजह से इत्तिफ़ाक़न सर अलग हो जाए तो उसका खाना मकरूह नहीं। कुतुबे फ़िक़ह में इस

मस्अले की सराहत मौजूद है।

सवाल 101 : अवाम में यह मस्अला मश्हूर है कि औरत का ज़बीहा जाइज़ नहीं किया इस मस्अले की शरीअत में कोई अस्ल है?

जवाब : अगर औरत ज़िबह करना जानती है और सही तौर पर ज़िबह कर सकती है तो उसका ज़बीहा बिला कराहत जाइज़ है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

ज़िबह करने वाले का मुसलमान या किताबी होना शर्त किया गया है, पस इनका ज़बीहा हलाल है अगरचेह ज़िबह करने वाले मजनून या औरत या नाबालिग़ हों, बशर्ते कि तस्मियह और ज़िबह करना जानते हों।

सवाल 102 : मस्जिद में घासलेट जलाना जाइज़ है या नहीं? आम तौर पर देखा जाता है कि मस्जिदों में घासलेट जलाया जाता है?

जवाब : यह ज़ाहिर है कि घासलेट में बदबू होती है, और बदबूदार चीज़ मस्जिद में लाना शरअन मना है अगर किसी तरह उसकी बदबू ज़ाइल हो सकती हो तो इजाज़त है वरना मुमानअत ज़ाहिर है।

सवाल 103 : बाज़ लोग कहते हैं कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन पर तयम्मुम करना जाइज़ नहीं क्या यह सही है?

जवाब : महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है वल्लाहो सुब्हानहू व तआला अअ्लम।

सवाल 104 : मस्जिद में सवाल करना यानी भीक मांगना

जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मस्जिद में अपने लिये सवाल करना हराम है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 105 : आज कल आम तौर पर मस्जिदों में लोग रात को सोते हैं और वहीं खाना खाते हैं क्या शरअन यह तरीक़ा जाइज़ है?

जवाब : मस्जिद इबादतगाह है, खाना खाने और रात को सोने की जगह नहीं है, फ़ुक़हाए किराम ने तसरीह फ़रमा दी है, कि मस्जिद में खाना और सोना मकरूह है।

फ़तावा सिराजियह में है-

मस्जिद में खाना और सोना मोतकिफ़ के सिवा सब को मकरूह है।

बाज़ फ़ुक़हा ने मुसाफ़िरों के लिये फ़रमाया है कि अगर मस्जिद में सोने का इरादा करें तो एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में दाख़िल हों।

सवाल 106 : आम लोगों में मश्हूर है कि मस्जिद में अमामा बैठ कर बांधना चाहिये यह मस्अला कहाँ तक सही है?

जवाब : अवाम में मश्हूर है वह ग़लत है सही यह है कि मस्जिद में हो या मकान में हर जगह अमामा खड़े होकर बांधना चाहिये यही मस्नून है।

सवाल 107 : चाँदी या सोने के क़लम से मर्दों या औरतों को लिखना शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मर्द हो या औरत किसी को भी सोने या चाँदी के

क़लम से लिखना जाइज़ नहीं।

फ़तावा सिराजियह में है-

सोने और चाँदी के क़लम से लिखना मकरूह है इस हुक्म में मर्द व औरत बराबर हैं।

दीगर कुतुबे फ़िक़ह में भी यह मस्अला मौजूद है।

सवाल 108 : मर्दों को चाँदी की कुर्सी पर बैठना जाइज़ है या नहीं ? इस बारे में शरअ् शरीफ़ का क्या हुक्म है?

जवाब : मर्द हो या औरत किसी को भी चाँदी की कुर्सी पर बैठना जाइज़ नहीं।

फ़तावा सिराजियह में है-

सोना या चाँदी की कुर्सी पर बैठना मकरूह तहरीमी है और इस बारे में मर्दों और औरतों के लिये यकसाँ हुक्म है।

सवाल 109 : औरतों को चाँदी सोने के सिवा किसी दूसरी धात मसलन ताँबा, पीतल या स्टील का ज़ेवर पहनना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : औरतों को चाँदी सोने के अलावा और किसी धात का ज़ेवर पहनना जाइज़ नहीं, अकसर औरतें बल्कि मर्द भी इस मस्अले से ग़ाफ़िल हैं।

सवाल 110 : मर्दों को चाँदी का ख़िलाल गले में डालना या उससे दाँत कुरेदना शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब : चाँदी का ख़िलाल इस्तिमाल करना जाइज़ नहीं, न गले में लटकाना दुरूस्त है और न उससे दाँतों में ख़िलाल करने की इजाज़त है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 111 : बाज़ लोगों को देखा गया है कि दो दो तीन तीन अंगूठियाँ पहनते हैं किया लोगों का यह फ़ेल शरअन दुरूस्त है।

जवाब : मर्दों को चाँदी की साढ़े चार माशे से कम वज़न की एक नग की सिर्फ़ एक अंगूठी पहनने की इजाज़त है एक से ज़्यादा जाइज़ नहीं।

सवाल 112 : चाँदी या सोने की सलाई से सुर्मा लगाने की इजाज़त है या नहीं?

जवाब : चाँदी या सोने की सलाई से सुर्मा लगाना मर्द हो या औरत बिला उज़्र किसी को जाइज़ नहीं, फ़ुक़हाए किराम ने कुतुबे फ़िक़ह में इस मस्अले की तसरीह फ़रमाई है

दुर्रे मुख़्तार में है-

इसी तरह सोने और चाँदी की सलाई से सुर्मा लगाना मकरूह तहरीमी है।

सवाल 113 : मर्दों को सोने चाँदी के बटन क़मीस वग़ैरह में लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : सोने या चाँदी के ज़ंजीर के बग़ैर बटन लगाना मर्दों को भी जाइज़ है। कुतुबे फ़िक़ह में सोने की घुन्डियों की इजाज़त मौजूद है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

सोने और दीबाज (रेशम) की घुन्डियों में कोई हरज नहीं।

अलबत्ता ज़ंजीर के साथ मर्दों को जाइज़ नहीं। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 114 : जिस जगह जिन्नात रहते हैं वहाँ बाज़ लोग लोबान और अगरबत्ती वग़ैरा सुलगाते हैं, क्या शरअ् में इसकी कोई अस्ल है?

जवाब : शरअ् में इसकी कोई अस्ल नहीं, यह बातें जहालत पर मबनी हैं, बाज़ फ़ुक़हा ने अवाम की इन हरकतों को जाहिलों का तरीक़ा बताया है।

फ़तावा सिराजियह में है-

जिन्नात के लिये ख़ुश्बू वग़ैरा जलाने पर बाज़ फ़ुक़हा ने फ़तवा दिया है कि यह जाहिल अवाम का तरीक़ा है।

सवाल 115 : अकसर लोग नाबालिग़ बच्चों को मासूम कह दिया करते हैं, किया यह बात सही है कि नाबालिग़ बच्चे मासूम होते हैं?

जवाब : अहले सुन्नत के नज़दीक अंबिया और फ़रिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं फ़रिश्ते इस लिये मासूम हैं कि उनमें मासियत और गुनाह करने का माद्दा नहीं और अंबियाए किराम इस लिये मासूम हैं कि उनसे मासियत और गुनाह का सुदूर नहीं होता। लुग़त में मासूम उसी को कहा जाता है जिससे गुनाह सादिर न हो, ना समझ बच्चों को मासूम कहना महज़ ग़लत है, इस लिये कि उन से गुनाह सादिर होते रहते हैं, उनका झूट बोलना, एक दूसरे को गालियाँ देना, मारना पीटना और आपस में लड़ना झगड़ना यह सब बातें मासियत और गुनाह हैं जो आम तौर पर ना समझ बच्चों से सादिर होते रहते हैं, हाँ यह ज़रूर है कि वह ग़ैर मुकल्लफ़ हैं, मरफ़ूउल क़लम इस लिये

उनसे मुवाख़ज़ा न होगा।

सवाल 116 : एक शख़्स कहता है कि सियाह ख़िज़ाब करना जाइज़ है इस लिये कि देवबन्द के बहुत बड़े आलिम मौलवी हुसैन अहमद साहब सियाह ख़िज़ाब किया करते थे अब सवाल यह है कि किया सियाह ख़िज़ाब करना जाइज़ है? महरबानी फ़रमाकर मुदल्लल जवाब दें।

जवाब : ज़ैद व बकर के फ़ैल से बहस नहीं, शरई मस्अला यह है कि सियाह ख़िज़ाब करना हराम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

इस सपेदी को बदल दो और सियाह ख़िज़ाब के पास मत जाओ।

सुनने नसई में हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

कुछ लोग आएंगे जो सियाह ख़िज़ाब करेंगे जैसे जंगली कबूतरों के नीलगूँ पोटे वह जन्नत की ख़ुश्बू न सुंघेंगे।

एक हदीस में है कि जो शख़्स सियाह ख़िज़ाब करेगा उसका चेहरा क़ियामत के दिन सियाह कर दिया जाएगा, ख़ुलासा जवाब यह है कि सियाह ख़िज़ाब करना शरअन हराम है।

सवाल 117 : हमने लोगों से सुना है कि जनाबत की हालत में पसीना निकले और कपड़े पसीने में तर हो जाएं तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, क्या यह सही है?

जवाब : अगर बदन पर नजासते हक़ीक़ी न लगी होगी तो कपड़े पाक रहेंगे इस लिये कि जिस तरह जुन्बी (नापाक) का

झूटा पाक है, लुआबे दहन (थूक) पाक है, उसी तरह उसका पसीना भी पाक है।

दुर्रे मुख़्तार में है-

आदमी का झूटा पानी मुतलक़न पाक है अगरचेह जुन्बी हो या काफ़िर हो और पसीने का हुक्म झूटे पानी की मानिन्द है।

अवाम में जो मशहूर है कि जुन्बी का पसीना ना पाक है महज़ ग़लत है।

सवाल 118 : बाज़ लोग तावीज़ लिखने के लिये मुर्ग़ ज़िबह करते हैं और ज़िबह के वक़्त जो ख़ून निकलता है उससे तावीज़ लिखते हैं जिन में आयाते क़ुरआनी होती हैं क्या यह फ़ैल जाइज़ है?

जवाब : दम मस्फ़ूह नजिस है और नजिस चीज़ से आयाते क़ुरआनी लिखना हराम है, इसमें क़ुरआने करीम की तौहीन है वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 119 : बाज़ लोग मुहर्रम में सब्ज़ कपड़े पहनते हैं और बच्चों को पहनाते हैं यह जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मुहर्रम में सब्ज़ कपड़े पहनना और अपने बच्चों को पहनाना बिदअत और अहले बिदअत के साथ मुशाबिहत है, अहले सुन्नत को चाहिये कि उसे तर्क करें वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 120 : आम लोगों में मशहूर है कि झूटा पानी खड़े होकर पीना चाहिये, इसी तरह यह भी मशहूर है कि मस्जिद में पानी खड़े हो कर पीना चाहिये, क्या यह बातें सही हैं?

जवाब : वुज़ू का बाक़ी मान्दा पानी और आबे ज़म ज़म

खड़े हो कर पीना मुस्तहब है इसके अलावा पानी बैठ कर पीने का हुक्म है। अवाम में जो मशहूर है वह ग़लत है।

सवाल 121 : बाज़ लोग खाना खाने से पहले सिर्फ़ एक हाथ धो लेते हैं क्या एक हाथ धोने से सुन्नत अदा हो जाती है?

जवाब : एक हांथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती, खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोना सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम खाने से क़ब्ल दोनों हाथ धोते थे।

सवाल 122 : अगर किसी के हाथ से क़ुरआन शरीफ़ गिर जाए तो उसके बराबर गेहूँ सदक़ा देना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब : कोई मुसलमान क़स्दन क़ुरआन शरीफ़ को नहीं गिराएगा, अगर इत्तिफ़ाक़न गिर गया, ऐसी सूरत में उस शख़्स पर सदक़ा देना शरअन ज़रूरी नहीं, हाँ वह अपनी ख़ुशी से बशर्ते इस्तिताअत कुछ ख़ैरात कर दे तो बहतर है।

सवाल 123 : हमारे यहाँ एक मौलवी साहब ने मस्अला बयान किया है कि काफ़िरों से सूद लेना जाइज़ है किया यह मस्अला सही है?

जवाब : अगर मौलवी साहब ने यही कहा है जो आपने नक़्ल किया है तो उन्होंने मस्अला बयान करने में ग़लती की है, सूद की हुरमत नस्से क़तई से साबित है किसी से भी सूद लेना जाइज़ नहीं।

क़ुरआने करीम में है-

तर्जमा : और अल्लाह ने सूद हराम किया है।

सवाल 124 : औरतों को नाबीना से पर्दा करना ज़रूरी है

या नहीं ? हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि अंधों से पर्दा ज़रूरी नहीं इस लिये कि उनको नज़र नहीं आता?

जवाब : जिस तरह औरतों को बीना (आँख वाले) ग़ैर महरम से पर्दा करना ज़रूरी है, इसी तरह नाबीना ग़ैर महरम से पर्दा करना ज़रूरी है। तिर्मिज़ी शरीफ़ में उम्मे सलिमा से रिवायत है कि एक दिन इब्ने उम्मे मकतूम नाबीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उस वक़्त हज़रत उम्मे सलिमा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थीं, आपने उन दोनों से फ़रमाया तुम दोनों इन से पर्दा करो, उम्मे सलिमा रज़ियल्लाहो अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यह तो नाबीना हैं, यह सुन कर हुज़ूर ने फ़रमाया-

किया तुम दोनों भी अंधी हो क्या तुम उन को नहीं देखती हो।

इस हदीस से साबित हुआ कि औरतों को नाबीना लोगों से पर्दा करना चाहिये।

सवाल 125 : बाज़ औरतों का तरीक़ा है कि अपने बच्चों के सरों पर किसी बुज़ुर्ग के नाम की चोटी रखती हैं फिर एक ख़ास मुद्दत के बाद उन बुज़ुर्ग के मज़ार पर ले जाकर चोटी उतारती हैं किया यह फ़ैल शरअ् शरीफ़ में जाइज़ है?

जवाब : चोटी रखना मुशरिकीने हिन्द का शिआर है, इस लिये जाहिल औरतों का यह अमल न सिर्फ़ लग़्व और बे अस्ल है बल्कि हराम है मुसलमान औरतों को ऐसी हरकतों से बाज़ आना चाहिये। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 126 : जो पीर ख़िलाफ़े शरअ् हो सोम व सलात (नमाज़, रोज़ा) का पाबंद न हो और फ़िस्क़ व फ़ुजूर (बदकारी) में मुब्तला हो ऐसे पीर का मुरीद होना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जिस तरह बुझा हुआ चराग़ दूसरे चराग़ को रोशन नहीं कर सकता, ख़ुश्क कुंआँ किसी प्यासे इंसान को सैराब नहीं कर सकता, ख़ुद रास्ते से भटका हुआ दूसरे को रास्ता नहीं बता सकता, इसी तरह ख़िलाफ़े शरअ् पीर दूसरे को ख़ुदा तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसे पीर का मुरीद होना और उसकी ताज़ीम करना शरअन हराम है।

सवाल 127 : बाज़ औरतें बच्चों के रोने धोने से घबराकर बच्चे को ज़रा सी अफ़यून खिला देती हैं ताकि बच्चा नशे की हालत में ख़ामोश पड़ा रहे, किया यह फ़ेल शरअन जाइज़ है?

जवाब : अफ़यून, भंग, चरस यह सब चीज़ें हराम हैं, इनका खाना भी हराम है और खिलाना भी हराम है जो औरतें अपने बच्चों को अफ़यून खिलाती हैं वह गुनहगार हैं। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 128 : मज़ाहिबे बातिला मसलन क़ादियानी, राफ़ज़ी या वहाबी मज़हब की किताबें फ़रोख़्त करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मज़ाहिबे बातिला की किताबें फ़रोख़्त करना हराम है, इसमें बातिल की इशाअत और हक़ की तौहीन है।

सवाल 129 : किसी का ख़त पढ़ना जाइज़ है या नहीं? इस बारे में शरई हुक्म क्या है?

जवाब : किसी का ख़त बिला इजाज़त पढ़ना नाजाइज़ है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई का ख़त उसकी इजाज़त के बग़ैर देखता है वह जहन्नम की तरफ़ नज़र डालता है।

सवाल 130 : बाज़ पीरों को देखा है कि ग़ैर महरम औरतों को मुरीद करते वक़्त उनका हाथ हाथ में लेकर मुरीद करते हैं अब सवाल यह है कि क्या ग़ैर महरम औरतों का हाथ छूना और उन से मुसाफ़हा करना शरअन जाइज़ है। जवाब मुदल्लल होना चाहिये।

जवाब : ग़ैर महरम का हाथ छूना उससे मुसाफ़हा करना शरअन मना है, अहादीसे सहीहा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैअ्त लेने के वक़्त न किसी औरत से मुसाफ़हा किया और न किसी का हाथ छुआ, फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने तक़रीबन 457 औरतों से बैअ्त ली, लेकिन बैअ्त लेते वक़्त किसी एक औरत से भी मुसाफ़हा नहीं फ़रमाया, बल्कि उमैमा नामी एक ख़ातून ने बैअ्त होने के बाद मुसाफ़हा की दरख़्वास्त भी की तो आपने साफ़ फ़रमाया कि-

मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता।

इसी तरह सही बुख़ारी शरीफ़ में अस्मा से मरवी है कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाएं ताकि हम आप

से मुसाफ़हा करें। बस आपने फ़रमाया कि मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता।

बुख़ारी और मुस्लिम ने उम्मुल मोमिनीन आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहो अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक कभी भी ग़ैर ममलूका (ग़ैर महरम) औरतों के हाथ से नहीं छुवा।

इन अहादीस से आफ़ताब की तरह रोशन है कि जाहिल पीरों का यह फ़ैल शरअन नाजाइज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के उसवए हसनह के ख़िलाफ़ है।

सवाल 131 : बाज़ मशाइख़ को देखा है कि सर के बाल बढ़ाकर औरतों की तरह जूड़ा बांधते हैं किया उन हज़रात का यह फ़ैल शरअन जाइज़ है?

जवाब : मर्दों को जूड़ा बांधना मना है, इस लिये कि इस फ़ैल में औरतों के साथ तशब्बुह है जो मूजिबे लानत है।

सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

अल्लाह तआला उन मर्दों पर लानत करता है जो औरतों से तशब्बुह करते हैं और उन औरतों पर भी लानत फ़रमाता है जो मर्दों से तशब्बुह करते हैं। इसी क़िस्म के ख़िलाफ़े शरअ् पीरों ने हज़रात मशाइख़े किराम को बदनाम किया है।

सवाल 132 : इस ज़माने में बाज़ औरतों ने फ़ैशन इख़्तियार किया है कि सर के बाल कटवाकर शानों तक रखती हैं किया

उनका यह फ़ैल शरअन जाइज़ है ?

जवाब : औरतों के सर के बाल कटवाना जाइज़ नहीं, इस लिये कि इसमें मर्दों के साथ मुशाबिहत है जो हराम है सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया-

अल्लाह तआला उन मर्दों पर लानत करता है जो औरतों की मुशाबहत इख़्तियार करते हैं और उन औरतों पर लानत करता है, जो मर्दों की मुशाबहत इख़्तियार करती हैं।

एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि मर्दों की तरह कंधे पर कमान लटकाते हुए जा रही थी उसे देख कर हुज़ूर ने फ़रमाया कि इन औरतों पर ख़ुदा की लानत है जो मर्दों से तशब्बुह करें, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा ने एक औरत को मर्दाना जूता पहने देखा तो फ़रमाया कि मर्दों से मुशाबहत पैदा करने वाली औरतें मलऊन हैं।

ग़ौर करना चाहिये कि मर्दाना जूता पहनने में और कमान लटकाने में मुशाबहत मूजिबे लानत है। हालांकि यह दोनों ख़ारजी चीज़ें हैं तो मर्दों की तरह सर के बाल कटवाना जो बदन का जुज़्व हैं, यक़ीनन मूजिबे लानत होगा।

फ़िक़ह की मशहूर किताब दुर्रे मुख़्तार में है-

जो औरत अपने सर के बाल काटे वह गुनहगार और मलऊन है

ख़ुलासा यह है कि जो औरतें अपने सर के बाल काटती हैं वह गुनहगार और मलऊन हैं।

सवाल 133 : लोगों में मशहूर है कि काफ़िर को भी काफ़िर कहना जाइज़ नहीं ? इस लिये कि शायद कभी मुसमलान हो जाए, क्या दर हक़ीक़त काफ़िर को काफ़िर कहना मना है ?

जवाब : जाहिलों में यह बात मशहूर है लेकिन महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है जिस तरह एक मुसलमान को मुसलमान कहना ज़रूरी है इसी तरह काफ़िर को काफ़िर कहना भी ज़रूरी है, क़ुरआनो हदीस में काफ़िर को काफ़िर कहने की मुमानअत नहीं, बल्कि अल्लाह तआला ने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि ऐ महबूब ! आप काफ़िरों को काफ़िर कह कर ख़िताब कीजिये।

क़ुरआने करीम में इरशाद है-

तर्जमा : ऐ महबूब ! आप कह दीजिये कि ऐ काफ़िरों ! तुम जिन माबूदाने बातिला को पूजते हो मैं उन्हें नहीं पूजूंगा।

रहा यह एहतिमाल कि शायद कभी ईमान ले आए उसका जवाब यह है कि जिस तरह एक इंसान जब तक मुसलमान रहता है उसे मुसलमान कहा जाता है और अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता मुर्तद हो जाए तो उसे काफ़िर कहा जाएगा। इसी तरह एक काफ़िर जब तक काफ़िर है उसे काफ़िर कहा जाएगा और जब मुसलमान हो जाएगा तो उसे मुसलमान कहा जाएगा

सवाल 134 : अकसर लोगों को कहते सुना है कि फ़लाँ

दरख़्त पर फ़लाँ ताक़ में शहीद मर्द रहते हैं, फिर यह भी देखा है कि बाज़ लोग ऐसे ताक़ों पर जाकर अगरबत्ती और लोबान सुलगाते हैं, मिठाई ले जाकर फ़ातिहा दिलाते हैं और वहाँ मुरादें मांगते हैं, अब सवाल यह है कि क्या शहीद मर्द ताक़ों या दरख़्तों पर रहते हैं? और शरीअत में इसकी कोई अस्ल है।

जवाब : अवाम के यह ख़यालात उनकी जहालत के वह समरात हैं जिन की शरीअत में कोई अस्ल नहीं ऐसे लग़्व और बैहुदा ख़यालात की इस्लाह की ज़रूरत है।

सवाल 135 : आम लोगों में मशहूर है कि कुतुब की तरफ़ पाँव फेलाना मना है, क्या शरीअत में इस मस्अले की कोई अस्ल है?

जवाब : जाहिलों में यह मस्अला बहुत मशहूर है कि कुतुब की तरफ़ पाँव फैलाना मना है, लेकिन बिल्कुल बे अस्ल है, शरअन उस तरफ़ पाँव फेलाने की कोई मुमानअत नहीं।

सवाल 136 : बुज़ुर्गाने दीन मसलन हुज़ूर ग़ौसे पाक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैहे की तस्वीरें बरकत के लिये अपने घरों पर रखना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : ख़ानए काबा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बी बी मरयम की तस्वीरें बनाई गई थीं, चूंकि शरअ् में मुमानअत है इस लिये हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तस्वीरों को धो कर साफ़ कर दिया कि तस्वीरों का निशान भी न रहा।

सवाल 137 : क्या औरत को अपने पीर से पर्दा करना ज़रूरी नहीं? बाज़ लोग कहते हैं कि पीर बाप के मानिन्द है इस लिये

पीर से पर्दा नहीं।

जवाब : पीर अगर ग़ैर महरम है तो पर्दा करना ज़रूरी है अगर कोई औरत ग़ैर महरम पीर के सामने आएगी तो गुनहगार होगी।

सवाल 138 : अकसर लोगों को देखा है कि क़ुरआने पाक से फ़ाल निकालते हैं अब सवाल यह है कि क़ुरआने पाक से फ़ाल निकालना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : उलमाए अहनाफ़ ने तसरीह फ़रमाई है कि क़ुरआने पाक से फ़ाल लेना मकरूह है।

हिदायह में है–

तर्जमा : क़ुरआने पाक से फ़ाल निकालना मकरूह है

सवाल 139 : क़ुरआने पाक की तिलावत के बदले उजरत लेना जाइज़ है या नहीं, आम तौर पर रिवाज है कि क़ब्र पर हुफ़्फ़ाज़ को तिलावत के लिये बिठाया जाता है और जो उजरत तय होती है वह दी जाती है?

जवाब : क़ब्र पर हुफ़्फ़ाज़ को तिलावते क़ुरआने पाक के लिये बिठाना जाइज़ है और क़ुरआने पाक की तिलावत का ईसाले सवाब भी साबित है लेकिन क़ुरआने करीम की तिलावत पर उजरत मुक़र्रर करना हराम है।

सवाल 140 : अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक बुज़ुर्गाने दीन के मज़ाराते मुक़द्दसा को ताज़ीमी सज्दा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : सज्दा करना मना है, ताज़ीमी सज्दा न मज़ार को जाइज़ है और न साहिबे मज़ार को जाइज़ था। शरीअते

मोहम्मदिया में ग़ैरे ख़ुदा को सज्दा करना हराम है।

सवाल 141 : बुज़ुर्गाने दीन के मज़ाराते मुक़द्दसा का ताज़ीमी तवाफ़ जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मज़ारात का ताज़ीमी तवाफ़ शरअन मना है। वल्लाहो अअ्लम।

सवाल 142 : एक मौलवी साहब ने वअ्ज़ में यह रिवायत बयान की है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्रईले अमीं से पूछा कि तुम वही कहाँ से लाते हो, जिब्रईल ने अर्ज़ किया कि एक पर्दे से आवाज़ आती है, यह सुन कर हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ जिब्रईल ! एक दिन पर्दा उठा कर देखो चुनांचे जिब्रईल ने एक दिन पर्दा उठाया तो देखा कि पर्दे के अन्दर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं, अमामा सरे मुबारक पर है, आईना सामने रखा है और फ़रमा रहे हैं, मेरे बन्दे को यह हुक्म सुना दो और फ़लाँ हुक्म पहुँचा दो, अब सवाल यह है कि यह रिवायत कुतुबे हदीस में है या नहीं?

जवाब : यह रिवायत महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल और ख़ुदा व रसूल पर इफ़्तिरा है इसका ज़ाहिरी मज़मून कुफ्र और इसका मुअ्तक़िद काफ़िर है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 143 : अवाम में यह रिवायत बहुत मशहूर है कि सफ़र के महीने में आख़री चहार शंबे (बुध) को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ुस्ले सहत फ़रमाया क्या यह रिवायत सही है?

जवाब : कुतुबे हदीस में इस रिवायत की कोई अस्ल नहीं,

बल्कि बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि आख़री चहार शंबे ही को इस मरज़ की इब्तिदा हुई थी जिसमें हुज़ूर ने पर्दा फ़रमाया था।

सवाल 144 : अवाम में यह रिवायत मशहूर है कि ख़ातूने जन्नत हश्र के दिन इमाम हसन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के ज़हर आलूद और ख़ून आलूंदा कपड़े कंधे पर डाले हुए और रसूले पाक के दन्दाने मुबारक हाथ में लिये हुए बारगाहे इलाही में हाज़िर होकर अर्श का पाया पकड़ कर हिलाएंगी। और ख़ून के बदले अपने बाबा जान की उम्मत को बख़्श वाएंगी क्या यह रिवायत सही है?

जवाब : इस रिवायत का कुतुबे हदीस में कोई ज़िक्र नहीं। वल्लाहो अअ्लम।

सवाल 145 : यह रिवाय जो मशहूर है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को उनकी बीवी ने यज़ीद से साज़ बाज़ करके ज़हर दिया था, क्या यह सही है?

जवाब : इस रिवायत की कुतुबे हदीस में कोई सनद नहीं, ऐसा मालूम होता है कि किसी ख़ारजी ने इसे वज़अ् (तैयार) किया है और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बीवी को ग़ैरों से साज़ बाज़ करने की तोहमत लगाई है।

सवाल 146 : यह रिवायत बहुत मशहूर है और वाइज़ों से सुना है कि शबे मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुँचे और नअ्लैन शरीफ़ उतारने का इरादा किया तो ग़ैब से आवाज़ आई ऐ महबूब ! आप नअ्लैन शरीफ़ पहने हुए तशरीफ़ लाइये ताकि अर्श की ज़ीनत हो। क्या यह रिवायत सही

है ? और सही है तो हदीस की किस किताब में है ?

जवाब : यह रिवायत मोज़ू (गढ़ी हुई) है कुतुबे हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। वल्लाहो तआला अअ्लम।

सवाल 147 : क्या यह रिवायत सही है कि हज़रत सकीना की वफ़ात करबला से शाम (एक मुल्क का नाम) जाते हुए रास्ते ही में हो गई थी?

जवाब : यह रिवायत बे अस्ल है। कुतुबे तारीख़ में इसकी कोई सनद नहीं, सही रिवायत यह है कि हज़रते सकीना वाक़िअए करबला के बाद मुद्दत तक ज़िन्दा रहीं और उनका निकाह हज़रत मुसइब बिन ज़ुबैर के साथ हुआ। वल्लाहो अअ्लम।

सवाल 148 : अवाम में यह रिवायत मश्हूर है कि शबे मेराज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में बुराक़ पैश किया गया तो हुज़ूर की आँखों में आँसू आ गए जब जिब्रईले अमीं ने दरियाफ़्त किया कि आप क्यूँ रोते हैं ? तो आपने फ़रमाया कि मैं तो बुराक़ पर जा रहा हूँ लेकिन कल मेरी उम्मत बरहना पा पुल सिरात का रास्ता तय करेगी, उस वक़्त अल्लाह तआला ने यह वादा कर लिया कि आज जिस तरह आप के लिये बुराक़ भेजा है, इसी तरह क़ियामत के दिन हर मुसलमान की क़ब्र पर एक एक बुराक़ भेजूँगा। क्या यह रिवायत सही है?

जवाब : बे अस्ल है कुतुबे हदीस में कहीं नहीं?

सवाल 149 : यह रिवायत मश्हूर है कि शबे मेराज ख़ुदाए तआला ने अपने रसूले पाक को आपके वालिदैन का अज़ाब दिखाया और फ़रमाया, ऐ महबूब ! या अपनी उम्मत को बख़्शवा

लीजिये या वालिदैन को, आपने अपने वालिदैन को छोड़ा और उम्मत को इख़्तियार किया, क्या यह रिवायत सही है?

जवाब : ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है। वल्लाहो तआला अअ्लम

सवाल 150 : यह रिवायत जो मश्हूर है कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के एक साहबज़ादे अबू शहमा ने शराब के नशे में किसी औरत से ज़िना किया जब मुक़दमा पैश हुआ तो हज़रत उमर ने अपने लड़के पर ज़िना की हद क़ाइम की यानी दुर्रे लगवाए क्या यह रिवायत सही है?

जवाब : अहले सुन्नत के यहाँ इस रिवायत की कोई अस्ल नहीं, इस रिवायत का वाज़े कोई राफ़ज़ी है जो हज़रात सहाबा किराम पर शराब नोशी और ज़िनाकारी की तोहमत लगाकर उन मुक़द्दस हस्तियों को बदनाम करना चाहता है। दर हक़ीक़त अबू शहमा न हज़रत फ़ारूक़े आज़म के किसी साहबज़ादे का नाम है और न इस वाक़िए की कोई अस्ल है।

सवाल 151 : उर्दू की किताबों में यह रिवायत पढ़ी है और वाइज़ों से भी सुनी है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लहो तआला अन्हो की साहबज़ादी हज़रत सकीना का हज़रत क़ासिम के साथ करबला के मैदान में निकाह हुआ था, किया यह रिवायत सही है ?

जवाब : मैदाने करबला में हज़रत सकीना के निकाह की जो रिवायत मश्हूर है वह बिल्कुल बे अस्ल और मोज़ू है इसे ऐसे बे वुक़ूफ़ लोगों ने वज़अ् (तैयार) किया है जो यह भी न समझ सके कि अहले बैत के लिये वह वक़्त शौक़े शहादत तवज्जोह

इलल्लाह और अतमामे हुज्जत का था, उस वक़्त शादी ब्याह की तरफ़ मुतवज्जह होना उन हालात के मुनाफ़ी था।

सवाल 152 : तक़्वियतुल ईमान में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, किया यह हदीस सही है?

जवाब : महज़ ग़लत और बिल्कुल बे अस्ल है, इसे बाज़ गुमराहों ने वज़अ् किया है। अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबियाए किराम ज़िन्दा हैं उनकेअज्सामे तैयिबा (पाक जिस्मों) को ज़मीन खा नहीं सकती।

सही हदीस है-

तर्जमा : अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। ***(तिर्मिज़ी, इब्ने माजह)***

सवाल 153 : फ़तावा रशीदिया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे भाई कहो, अब सवाल यह है कि यह हदीस सही है और सही है तो हदीस की कौन सी किताब में है?

जवाब : बिल्कुल मोज़ू (गढ़ी हुई) है इसे किसी मलऊन ने वज़अ् (तैयार) किया है। वल्लाहो तआला अअ्लम।

ख़त्म शुद

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

- अहले सुन्नत व जमाअ़त के बे लोस दर्दमन्द नोजवानों की ख़ालिस मज़हबी तन्ज़ीम
- जो मस्लके अहले सुन्न[illegible]ानी मस्लके आला ह़ज़रत रज़ियल्लाहो तआ़ला [illegible] की तर्जमान है।
- दीनो सुन्नियत की [illegible]त इसका नसबुल ऐ़न है। इस्लाम दुश्मन औ[illegible] दुश्मन अ़नासिर की सरकूबी और संजीदा मुदाफ़अ़त इसका तुर्रए इम्तियाज़ है।
- नो जवानों में दीनी जज़्बा पैदा करना, ग़लत सोह़बतों से बचाकर उन्हें अल्लाह व रसूल का सच्चा वफ़ादार बनाना।
- औलियाए उम्मत और उ़लमाए अहले सुन्नत से वाबस्तगी, इस्लामी अह़काम पर अ़मल दर आमद इसका शिआ़र है।

तो आईये मुख़्लिसाना जज़्बे के साथ अर-रज़ा ग्रुप से वाबस्ता होकर अपनी मिल्ली बैदारी का सुबूत पैश कीजिये

यह किताब मुफ़्त हासिल करें।